

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2025 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 752

=====

आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट, अपने ट्रस्टी अमित कुमार के माध्यम से, उम्र लगभग 22 वर्ष, लिंग पुरुष, पिता- श्री रवींद्र तिवारी, कार्यालय 17ए/56, त्रिवेणी प्लाजा, डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष, पटना के माध्यम से।
2. भारत संघ, कैबिनेट सचिव दिल्ली के माध्यम से ।
3. केंद्रीय जांच ब्यूरो, निदेशक, दिल्ली के माध्यम से ।
4. बिहार सरकार, मुख्य सचिव, पटना के माध्यम से ।
5. गृह विभाग, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, पटना के माध्यम से।
6. पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

साथ मे
2025 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 369

=====

1. पप्पु कुमार, पिता- मनोज कुमार, निवासी गाँव, डाक और थाना- भदौन, जिला- शेखपुरा, बिहार-811107।
2. संदीप कुमार सिंह उर्फ संदीप कुमार, पिता- मदन सिंह, गाँव-रामपुरवा, डाक और थाना- मेहसी, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार-845426।
3. रविश कुमार राज, पिता- विजय नारायण सिन्हा, निवासी गाँव- रघुनीबिघा, डाक- कोरमाथू, थाना- बेलागंज, जिला-गया, बिहार-804424।
4. हिमांशु राज, पिता- सतीश कुमार सिंह, निवासी गाँव बस्तीपुर, डाक- मानिकपुर, थाना- इंद्रपुरी, जिला- रोहतास, बिहार-821305।

5. सुभाष कुमार ठाकुर उर्फ सुभाष ठाकुर, पिता- रवींद्र ठाकुर, निवासी गाँव- बसरा, डाक और थाना-जयंतपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843123।
6. खुशी कुमारी, पिता- राम प्रवेश चौधरी, निवासी ग्राम- धर्मचक, डाक और थाना- मानसी, जिला-खगड़िया, बिहार-851214।
7. गौतम कुमार, पिता- उमाशंकर प्रसाद, निवासी गाँव-बलवापर, डाक-सिरसी दिहरा, थाना-हरनौत, जिला-नालंदा, बिहार-803110।
8. राजन कुमार तिवारी, पिता- दिवाकर कुमार तिवारी, निवासी गाँव- बसौरा, डाक- अंबा, थाना- कुटुम्बा, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824111।
9. दीपक कुमार, पिता- रामदारास साहनी, निवासी गाँव-तिलबिहाटा, डाक-बेरुआ, थाना- सरैया, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843122।
10. चंदन कुमार, पिता- धर्मेन्द्र कुमार नीरा, निवासी डाक और थाना-निर्मली, जिला- सुपाल, बिहार-847452।
11. दीपशिखा, शैलेंद्र पं. सिंह, निवासी गाँव और डाक- चंद्रहट्टी, थाना-कुधनी, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार।
12. सत्यम राज, पिता- मनीष राज, वार्ड संख्या 11, निवासी नालंदा नगर पंचायत, थाना और जिला-नालंदा, बिहार-803111।
13. विवेक कुमार उर्फ विवेक कुमार खरवार, पिता- दादन प्रसाद, क्वार्टर नंबर-68/400, 2, राजकीय नवीन मिडिल स्कूल के पास, राजबंशी नगर, फुलवारी, थाना-फुलवारी, जिला- पटना, बिहार-800023।
14. आकाश आनंद, पिता- विवेकानंद कुमार, निवासी गाँव-रामघाट, डाक-खैरा कोशपुर, थाना-नरपतगंज, जिला-अरारिया, बिहार।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार के माध्यम से।

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार।
3. बिहार लोक सेवा आयोग, अपने सचिव, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना के माध्यम से।
4. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।
5. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

साथ मे

2025 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 978

=====

अजीत कुमार, रंजीत बिंद का पुत्र, निवासी गाँव- अमैया, थाना- असरगंज, जिला- मुंगेर।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार लोक सेवा आयोग अपने अध्यक्ष, बेली रोड, पटना के माध्यम से।
4. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना।
5. सचिव, बी.पी.एस.सी., बेली रोड, पटना।
6. परीक्षा नियंत्रक, बी.पी.एस.सी., बेली रोड, पटना।
7. आर्थिक अपराध इकाई, पटना।
8. केंद्रीय जांच ब्यूरो, पटना।
9. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

साथ मे

2025 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1437

=====

1. प्रशांत शेखर, पिता- रामबली सिंह, निवासी रोड सं.-1, पटना कॉन्ट के पास, आदर्श विहार कॉलोनी, रामकृष्ण नगर, संपतचक, पटना, बिहार, पिन कोड-800027।
2. राकेश कुमार ठाकुर, पिता- देवचंदेरा ठाकुर, निवासी ग्राम श्रीखंड, डाक-चैनपुर थाना सुगौली, जिला-पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), बिहार, मोबाइल नंबर-7488944626।
3. ओंकार नाथ ठाकुर, पिता- दयाल सिंह, निवासी ग्राम-गोरासरा, डाक और थाना- नुआओन, जिला-कैमूर, बिहार, पिन कोड-802132 मोबाइल नंबर-7319786379।
4. मदन मोहन प्रसाद, पिता- राम कुमार, निवासी ग्राम- चक हुसैन, डाक और थाना- खुसरोपुर, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड-803202।
5. इंदरजीत यादव, पिता- ददन यादव, निवासी गांव-समहर, डाक-नेनुआ, थाना- डुमराव, जिला- बक्सर, बिहार, पिन कोड-802119।
6. राहुल कुमार, पिता- संतोष कुमार, निवासी गाँव- दानियालपुर, डाक और थाना-तेघरा, जिला- बेगुसराय, बिहार, पिन कोड-851133
7. सैफ अली खान, पिता- मोहम्मद असरफ खान, निवासी रोड सं.-7, डाक-न्यू करीम गंज, थाना-सिविल लाइन्स, जिला- गया, बिहार, पिन कोड-823001।
8. अमित कुमार, पिता- सत्यजीत गांधी, निवासी वार्ड सं.-11, बागी सुहिरद नगर, बेगुसराय, बिहार, पिन कोड-851218।
9. रजनीश कुमार, पिता- बीरेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी गाँव- कावरा, डाक-करवा, थाना- घोसवारी, जिला-पटना, बिहार।
10. शुभम रंजन, पिता- बीरेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी पोस्टल पार्क, संजय नगर, पटना, बिहार, पिन कोड-800001।

11. कृष्ण पांडे, पिता- अशोक पांडे, निवासी एन. सी. घोष लेन, गर्दनीबाग, पटना, बिहार, पिन कोड-800001।
12. राजकुमार गुप्ता, पिता- राधे श्याम गुप्ता, निवासी भगवानपुर, चैनपुर, चैनपुर, कैमूर (भभुआ), बिहार, पिन कोड-821103।
13. आकांक्षा पांडे, महिला, आयु लगभग 22 वर्ष, पिता- अशोक कुमार पांडे, निवासी एन. सी. घोष लेन, गर्दनीबाग, पटना, बिहार, पिन कोड-800001।
14. अविनाश कुमार सिंह, पिता- रामशंकर सिंह, निवासी खेदरपुरा, दाउदनगर, वैशाली, बिहार, पिन कोड-844113।
15. श्याम कुमार, पिता- कामत उर्फ श्याम तपेश्वर कामत, निवासी दामोदर पट्टी उर्फ सिमरी, डाक-वडुपट्टी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार, पिन कोड-843319।
16. नीलेश कुमार, पिता- विद्यानंद प्रसाद, निवासी पूर्वी भिखाचक, अनीसाबाद, गर्दनीबाग, पटना, बिहार, पिन कोड-800001।
17. प्रशांत, पिता- सबेंद्र प्रसाद, निवासी गांव- धनवाना बीघा, डाक-गोपालबाद, थाना- सवनेरा, जिला- नालंदा, बिहार।
18. पवन कुमार, पिता- स्वर्गीय राज किशोर प्रसाद सिंह, निवासी लालजी तोला, गली सं.-3 प्रसाद भवन के सामने, थाना-गांधी मैदान, डाक.- पटना जीपीओ, जिला-पटना, बिहार, पिन कोड-800001।
19. चेतन कुमार, पिता- समीर कुमार, निवासी बी/3 लाला बी. के. अंबस्थ, डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर, बी. ए. एस., राज कुमार पथ, सदन अलकापुर, गर्दनीबाग, अनीसाबाद, पटना, बिहार, पिन कोड-800002।
20. प्रत्यूष कुमार प्रभाकर, पिता- सिद्धार्थ शंकर राय, निवासी इंदिरा नगर, रोड सं.-06, पोस्टल पार्क, पटना, बिहार, पिन कोड-800001।

21. नीरज कुमार झा, पिता- तुलाकांत झा, निवासी बरहोरा, बाबाबराही, मधुबानी, बिहार, पिन कोड-847401।
22. विक्रम ज्योति, महिला, आयु लगभग 30 वर्ष, पिता- अरविंद कुमार सिंह, बहादुरपुर बागीचा, बाजार समिति, राजेंद्र नगर, पटना, बिहार के निवासी, पिन कोड-800016।
23. राजन कुमार झा, पिता- अनिल झा, निवासी गांव- पांडो तोला, थाना.-बोन्सी, जिला- बांका, बिहार, पिन कोड-813104।
24. अनुप्रिया कुमारी, महिला, आयु लगभग 23 वर्ष, पिता- बिपिन कृष्ण झा, निवासी कोरैया, सुगौली, पूर्वी चंपारण, बिहार, पिन कोड-845456।
25. अजरा फातमा रिजवी, पिता- ए. एम. रिजवी, निवासी रिवर व्यू कॉलोनी, लोहारवाघाट, आलमगंज, पटना, बिहार, पिन कोड-800007।
26. सनी राज, पिता- अशोक कुमार, निवासी शाहपुर, जिला- भोजपुर, बिहार, पिन कोड-82165।
27. शिव शंकर, पिता- अरुण के. सिंह, निवासी आदर्श नगर, रोड सं.-02, अनीसाबाद, बेरूर थाना, जिला- पटना, बिहार, पिन कोड-800002।
28. सूर्यकांत, पिता- कौशलेंद्र कुमार, निवासी बाईपास, आदर्श विहार कॉलोनी, आर. के. नगर, पटना, बिहार, पिन कोड-800027।
29. विशाल कुमार, पिता- आशा नारायण प्रसाद, निवासी खैरवा छापरा भिखारी, पूर्वी चंपारण, बिहार, पिन कोड-845412।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. बिहार लोक सेवा आयोग, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।

3. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।
4. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।
5. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

साथ मे

2025 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1723

=====

1. नेहा परवीन, पिता- राजी उद्दीन, निवासी तोपखाना बाजार, थाना और जिला-मुंगेर।
2. प्रशांत कुमार, पिता- अतुल कुमार सिंह, निवासी गाँव-फुलौत पश्चिम, वार्ड सं.- 05, थाना-चौसा, जिला-मधेपुरा।
3. उज्जवल चौधरी, पिता- शंकर चौधरी, निवासी वार्ड सं. 23, रघुवंश रोड, एंडी गोला, मुजफ्फरपुर, नया तोला, रमेश राही अग्रवाल गर्ल्स हाई स्कूल के पास, थाना और जिला-मुजफ्फरपुर।
4. रंजन कुमार, पिता- उमाशंकर प्रसाद, निवासी हरपुर, वार्ड नं.- 05, अदापुर, थाना-हरपुर, जिला-पूर्वी चंपारण।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. बिहार लोक सेवा आयोग, अपने सचिव के माध्यम से, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।
4. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।

5. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

साथ मे

2025 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2842

=====

राजकुमार, पिता- स्वर्गीय राज कुमार प्रसाद, निवासी-गांव मुरगियाचक, डाक और थाना-वेना, ब्लॉक-रहुई, जिला-नालंदा, पिन-803110।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

1. बिहार राज्य, बिहार सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार।
3. बिहार लोक सेवा आयोग अपने सचिव के माध्यम से, 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना
4. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।
5. परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

(2025 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 752 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अभिजीत आनंद, अधिवक्ता सुश्री श्वेता कुमारी, अधिवक्ता
बी.पी.एस.सी. के अधिवक्ता	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पांडे, अधिवक्ता श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

यू. ओ. आई. के अधिवक्ता : श्री रत्नेश कुमार, वरिष्ठ सी. जी. सी.
 श्रीमती पारुल प्रसाद, सी. जी. सी.
 श्री आदित्य आनंद, अधिवक्ता
 श्री राजीव रंजन, अधिवक्ता

सीबीआई के लिए : श्रीमती निवेदिता निर्विकर, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री आर्य अचिंत, अधिवक्ता
 श्रीमती करिश्मा अवारे, अधिवक्ता

राज्य की अधिवक्ता : श्री पी.के.शाही, ए. जी.
 श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
 श्री अमृतेश कुमार, अधिवक्ता

(2025 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 369 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री वाई.वी.गिरी, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री प्रणव कुमार, अधिवक्ता
 सुश्री सृष्टि सिंह, अधिवक्ता
 श्री देवाशीष गिरि, अधिवक्ता
 श्री अशोक कुमार दुबे, अधिवक्ता
 श्री कुशल, अधिवक्ता

राज्य की ओर से ; श्री पी.के.शाही, ए. जी.
 श्री एस.सी.-9
 श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
 श्री अमृतेश कुमार, अधिवक्ता

बी.पी.एस.सी. के अधिवक्ता : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
 श्री आयुष, अधिवक्ता
 श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
 श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

(2025 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 978 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री चंदन कुमार, अधिवक्ता
 मो. फजले करीम, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता

सीबीआई के लिए	:	श्री विकास कुमार, अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर्य अचिंत, अधिवक्ता श्रीमती करिश्मा अवारे अधिवक्ता
बी.पी.एस.सी. की अधिवक्ता	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पांडे, अधिवक्ता श्री आयुष, अधिवक्ता श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता
ई.ओ.यू. के अधिवक्ता	:	श्री वी.एन.पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय आनंद, अधिवक्ता
(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 2025 के 1437 में)		
याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अभिनव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रौशन, अधिवक्ता श्री साहिल कुमार, अधिवक्ता श्री अर्पित आनंद, अधिवक्ता श्री पुष्कर भारद्वाज, अधिवक्ता सुश्री श्रेयशी राज, अधिवक्ता श्री नीरज कुमार, अधिवक्ता श्री साकेत कुमार झा, अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार यादव, अधिवक्ता श्री सुभम, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
बीपीएससी के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय पांडे, अधिवक्ता श्री आयुष, अधिवक्ता श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता
मध्यस्थ के अधिवक्ता	:	श्री नीरज कुमार, अधिवक्ता

श्री साकेत कुमार झा, अधिवक्ता

श्री प्रमोद कुमार यादव, अधिवक्ता

(2025 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1723 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री संतोष कुमार पांडे,
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
		श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
बी.पी.एस.सी. के अधिवक्ता	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री आयुष, अधिवक्ता
		श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2025 के 2842 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	सुश्री रूना, अधिवक्ता
		श्री संजय कुमार, अधिवक्ता
		श्री प्रत्यूष कुमार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री पी.के.शाही, महाधिवक्ता
		श्री विकास कुमार, अधिवक्ता
बीपीएससी के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
		श्री आयुष, अधिवक्ता
		श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता
		श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

=====

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—लोकहित याचिका—पुनः परीक्षा—परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और आयोग द्वारा एसओपी के पालन न करने के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए—याचिकाकर्ताओं ने ज्यादातर उम्मीदवारों की टिप्पणियों/शिकायतों पर निर्भर किया है, कुछ मामलों में उनकी पहचान और रोल नंबर के साथ, परीक्षा के बाद, जो कि सत्यापन के दौरान सिद्ध नहीं पाए गए—किसी परीक्षा की रद्दीकरण, चाहे वह किसी पेशेवर या अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए हो या सरकारी पदों पर भर्ती के लिए, केवल उन मामलों में उचित है जहाँ परीक्षा की पवित्रता को प्रणालीगत स्तर पर समझौता पाया गया है—कोर्ट

परीक्षा के रद्दीकरण का निर्देश दे सकती है या सक्षम प्राधिकरण द्वारा ऐसे रद्दीकरण को अनुमोदित कर सकती है, केवल यदि दागदार उम्मीदवारों को बिना दाग वाले उम्मीदवारों से अलग करना संभव नहीं है—याचिकाकर्ता आयोग के सदस्यों के तथाकथित आपराधिक गलत आचरण या प्रश्न हल करने वालों, प्रश्न पत्रों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीक करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को व्यवस्थित तरीके से परेशान करने के बीच किसी अपवित्र गठबंधन की जाँच के लिए मामला नहीं बना सके हैं—13.12.2024 को सभी केंद्रों पर गलत काम का कोई निश्चित सबूत नहीं है—पटना के बीपीपी केंद्र में सबसे अधिक संख्या में परीक्षार्थियों के साथ गड़बड़ी का प्रमाण है—आयोग ने 04.01.2025 को उस केंद्र के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित की—आयोग का निर्णय दोषपूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस विषय पर कानून स्पष्ट है कि यदि अधूरे उम्मीदवारों को निर्दोष उम्मीदवारों से अलग करना संभव हो, तो ऐसा करना चाहिए, न कि पूरे परीक्षा को रद्द करना—एक केंद्र से प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जब अन्य केंद्रों में परीक्षा देने वाले स्वच्छ परीक्षा हॉल में बैठे थे, इस प्रकार, इस तरह के प्रश्न पत्र लीक से किसी भी उम्मीदवार के लाभान्वित होने का कोई प्रमाण नहीं है—याचिकाकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रांति और पेपर लीक के लिए पेश किए गए सबूत केवल सोशल मीडिया यानी फेसबुक और 'X' (ट्विटर) पोस्ट हैं, परीक्षा के बाद—विभिन्न केन्द्रों पर सफलता दर और पुनः परीक्षा में इतनी स्पष्ट नहीं है कि निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रणालीगत खामियाँ थीं—राज्य की आर्थिक अपराध इकाई का परीक्षा से पहले सतर्कता मोड में आना परीक्षा के शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का सबूत नहीं है, ताकि कुल पुनः परीक्षा की मांग को उचित ठहराया जा सके—कुछ उम्मीदवारों को राज्य खर्च पर विशेष इलाज मिलने का प्रमाण, यदि इसे सत्य माना भी जाए, तो यह पेपर लीक या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं होगा—आयोग ने उन कोचिंग सेंटर के मालिकों/शिक्षकों की बैठक बुलाई थी ताकि छात्रों के साथ संवाद को सुगम बनाया जा सके जिन पर उनका अच्छा नियंत्रण है और परीक्षा के शांत, प्रभावी और निष्पक्ष संचालन के लिए सुझाव प्राप्त किए जा सकें, जो आयोग की क्रिया न तो उचित है और न ही प्रशंसनीय—परीक्षा में कुछ प्रश्न कोचिंग केंद्रों के मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों से मेल खाते हैं, यह आयोग द्वारा ऐसे कोचिंग केंद्रों से प्रश्न बैंक लेने का कोई सबूत नहीं है—राज्य में और बाहर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न बैंकों से हमेशा सामान्य प्रश्न हो सकते हैं—कुछ छात्रों के लिए एक और परीक्षा आयोजित करने की अव्यवस्थता के संबंध में तर्क संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के आधार पर अस्वीकार्य है और यह उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों के खिलाफ भी है, जो सीमित पुनः परीक्षा को उचित ठहराते हैं—

यह हमेशा परीक्षा लेने वाले संस्थान के द्वारा विभिन्न पठन-पाठन पत्रों में कठिनाई स्तरों का मानक मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए खुला छोड़ना सबसे अच्छा होता है, चाहे वह विभिन्न शिफ्टों में हो या सीमित पुनः परीक्षा की स्थिति में परिणामों के मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाने के लिए—इस पर अनुमान लगाया जाता है कि परीक्षा लेने वाली संस्था द्वारा विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिए गए मुख्य उत्तर सही हैं, जब तक कि इसे गलत साबित नहीं किया जाता—मुख्य उत्तरों के प्रति आपत्तियाँ किसी अनुमेय तर्क या तर्कीकरण की प्रक्रिया द्वारा नहीं होनी चाहिए—आयोग ने कई सुझावों पर विचार किया और प्रमुख उत्तरों के निर्माण के लिए विशेषज्ञों पर निर्भर रहा—सुझावों और विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर, कई प्रश्नों को हटाया गया—आपत्तियों का निपटारा उत्तर के समर्थन में कारण देकर किया गया—एक न्यायालय को उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन या जाँच नहीं करनी चाहिए स्पष्ट उत्तर प्राप्त करने की कोशिश में, जबकि विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया है, क्योंकि उसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं होती—प्रमुख उत्तर की सही ठहरने को लेकर यदि वह स्पष्ट और प्रकट रूप से गलत है तभी मुख्य उत्तर के प्रति आपत्ति के आधार पर कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है—उत्तर के बारे में संदेह की स्थिति में, लाभ हमेशा परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए न कि उम्मीदवारों को—इस मामले में किसी भी सीबीआई जाँच के लिए निर्देशित करने के लिए कोई सामग्री या आधार नहीं सुझाया गया—आयोग सामान्यीकरण की प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता—किसी भी स्थिति में, अदालत में विशेषज्ञता की कमी के लिए प्रवेश नहीं कर सकता—छात्रों का परीक्षा से पहले सामान्यीकरण के खिलाफ आंदोलन करना एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी जहां छात्र अफवाहों का शिकार हो गए—वे सलाह लेने के बजाय दुर्भाग्यवश भड़क गए—हालांकि परीक्षा प्रक्रिया के हर पहलू के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत एसओपी तैयार की गई है, लेकिन कुछ चूकें प्रतीत होती हैं, लेकिन वे ऐसी नहीं हैं जो परीक्षा की शुद्धता और निष्पक्षता को अस्वीकृत करें—ऑनलाइन आवेदन भरने की आखिरी तारीख से पहले पोर्टल सर्वर धीमा था, लेकिन किसी भी छात्र की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है कि वह फॉर्म भरने में असमर्थ था क्योंकि पोर्टल सुलभ नहीं था—जैमर के प्रभावी न होने का आरोप किसी सबूत के आधार पर है—केवल एक केंद्र पर फटे हुई टीईएस बैग थे—दुर्व्यवहार, धोखा या प्रश्न लीक केवल एपिसोडिक था, इसमें कोई प्रमाण नहीं था कि उत्तर परीक्षा देने वालों के पास तब पहुंचे जब वे अपने पेपर लिख रहे थे—कोचिंग सेंटर के मालिकों को अपने व्यवहार में अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, जो उनसे अपेक्षित है—एक उच्च स्तरीय समिति आयोग द्वारा एक स्थायी आधार पर विशेषज्ञों की नियुक्त की जानी चाहिए जो परीक्षा के सुरक्षा उपायों और समग्र प्रबंधन की समीक्षा सुनिश्चित

करें—आयोग को परीक्षा के प्रक्रिया में कमजोरियों को संबोधित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करना चाहिए—एसओपी को मजबूत करने की आवश्यकता है और एसओपी का पूरी तरह पालन करने के प्रयास किए जाने चाहिए—परीक्षा प्रक्रिया के सभी चरणों में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक समर्पित विंग स्थापित की जानी चाहिए—डिजिटल वाटरमार्किंग और ट्रैकिंग की उच्च तकनीक अपनाई जानी चाहिए—रिट याचिका खारिज की गई।

(पैराग्राफ 27, 29, 43, 68, 103 और 105)

(2021) 4 एससीसी 631; (2014) 6 एससीसी 644; (2010) 6 एससीसी 614; (2021) 16 एससीसी 217; (2017) 13 एससीसी 621; (1970) 1 एससीसी 648; (1990) सप्लीमेंट एससीसी 692; (1998) 9 एससीसी 236; (2003) 7 एससीसी 285; (2003) 7 एससीसी 285; (2006) 11 एससीसी 356; (201; 5) 6 एससीसी 573; (2005) 2 एससीसी 65; (2012) 7 एससीसी 433; (2024) 9 एससीसी 743; (1983) 4 एससीसी 309; (2005) 13 एससीसी 749; (2013) 4 एससीसी 690; (2018) 8 एससीसी 81; (2018) 2 एससीसी 357; (2010) 3 एससीसी 571; (2002) 5 एससीसी 521; (2016) 7 एससीसी 597; (2014) 10 एससीसी 406; (2014) 11 एससीसी 527; (2019) 6 एससीसी 777; (2024) 9 एससीसी 743; (2005) 13 एससीसी 744—निर्भर किया गया।
(2005) 5 एससीसी 136; (2004) 3 एससीसी 349—संदर्भित किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

पीठ: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

कैव निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 28-03-2025

जनहित याचिका सहित सभी रिट याचिकाओं में आम प्रार्थना बिहार लोक सेवा आयोग (संक्षेप में 'आयोग') द्वारा दिनांक 13.12.2024 और 04.01.2025 को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने और इन आधार पर पुनः

परीक्षा आयोजित करने की है (i) स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने में आयोग की प्रणालीगत विफलता; (ii) परीक्षा केंद्रों पर रसद और प्रशासनिक कुप्रबंधन; (iii) दो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की अस्वीकार्यता; (iv) सामान्यीकरण के संबंध में आयोग का टालमटोल वाला रुख; (v) गलत मुख्य उत्तर; (vi) अनुचित उत्तर मूल्यांकन प्रक्रिया; (vii) परीक्षा केंद्रों पर कदाचार; (viii) पेपर लीक होने की प्रबल संभावना और (ix) छात्रों के लिए समान मानक की कठोरता को ध्यान में रखे बिना संयुक्त मेधा -सूची तैयार करने के लिए पूरी तरह से अपारदर्शी पद्धति अपनाई गई है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होता है।

2. सभी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त आधारों के कारण परीक्षा की प्रक्रिया और परिणाम विवादों में घिर गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने के साथ-साथ व्यवस्था में विश्वास बहाल करने का एकमात्र तरीका अब निष्पक्ष तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करना है। यह आग्रह किया गया है कि ऐसा नहीं करने से संवैधानिक मूल्यों का क्षरण होगा, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत आते हैं, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता संदेह को जन्म देती है कि क्या इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सभी व्यक्तियों को समान पहुंच से वंचित कर दिया गया है और उस स्थिति में, पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाती है, जिसके लिए परीक्षा/परिणाम को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता होती है।

3. आयोग और राज्य की ओर से विरोधाभासी तर्क यह है कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी और परीक्षा को उचित तरीके से आयोजित करने के लिए सभी प्रकार की सावधानी बरती गई, तथा बापू परीक्षा परिसर (संक्षेप में 'बी.पी.पी.') वह केंद्र है जहां अधिकतम परीक्षार्थी थे,

में कुप्रबंधन के संबंध में और कुछ प्रमुख उत्तरों के गलत होने के बारे में बहुत सीमित शिकायतें थीं। लेकिन उन मुद्दों को, गलत उत्तर कुंजी को विशेषज्ञों की समिति को भेजकर हल कर दिया गया, जिन्होंने सही उत्तर चुनने के अपने कारण बताए हैं; और आयोग ने अपने विवेक और अनुभव से केवल बीपीपी केंद्र के उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया, न कि पूरे बिहार राज्य के अन्य 912 केंद्रों के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का परिणाम प्रकाशित किया गया है जिसमें लगभग 21000 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। उनके करियर को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। यह दोहराया गया कि चयन प्रक्रिया की पवित्रता में जनता के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही, उन उम्मीदवारों के प्रति निष्पक्षता का पालन करने की आवश्यकता है जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से सफल होने के प्रयास में समय और संसाधनों का निवेश करते हैं और इन दोनों विचारों का एक संवैधानिक आधार है, जो सेवा और प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों से परे है।

4. परीक्षा के आयोजन में हुई अनौचित्यता की ओर ध्यान दिलाते हुए, जनहित याचिका में याचिकाकर्ता, जिसके अधिकार क्षेत्र को गंभीरता से चुनौती दी गई है, ने बताया है कि (a) आयोग ने 23.09.2024 को अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन कोई विज्ञापन संख्या नहीं दी थी; (b) आयोग के 08.12.2024 के प्रेस नोट के अनुसार, कुल 4.80 लाख ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिनमें से लगभग 1.3 लाख ऑनलाइन आवेदन भुगतान के साथ पिछले चार दिनों में प्राप्त हुए थे, जब आयोग के ऑनलाइन पोर्टल का सर्वर बिल्कुल धीमा था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 80,000 से 90,000 आवेदक फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। फिर भी, ऑनलाइन पोर्टल को फिर से खोला गया और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दो मौकों पर बढ़ाई गई। इसके अलावा, परीक्षा की प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए, जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि (c) आवेदकों के एडमिट कार्ड 06.12.2024 को जारी किए गए थे, लेकिन परीक्षा

आयोजित करने की निर्धारित तिथि से केवल दो दिन पहले, 10.12.2024 की अधिसूचना के तहत 5,000 आवेदकों के परीक्षा केंद्र गया से नवादा में बदल दिए गए; (d) 13.12.2024 को परीक्षा की निर्धारित तिथि से पहले, आयोग ने, आश्चर्यजनक रूप से, 30.10.2024 को एक बैठक के लिए पटना के निजी कोचिंग केंद्रों को आमंत्रित किया था। आरोप यह है कि संभवतः उन कोचिंग संस्थानों से प्रश्न-बैंक मांगे गए थे, जिसका आरोप सही साबित होता है, क्योंकि पुस्तिकाओं में कई प्रश्न कोचिंग संस्थानों द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रश्नों से मेल खाते थे और छात्रों के बीच प्रसारित किए गए थे; (e) वास्तव में, सांख्यिकीय रूप से, 24 प्रश्न खान ग्लोबल स्टडीज से लिए गए थे और 22 प्रश्न उत्कर्ष क्लासेस से थे; (f) प्रश्नों का स्तर भी औसत से नीचे था; (g) 14.12.2024 के समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, इस न्यायालय को अवगत कराया गया था कि जिला प्रशासन, खगड़िया द्वारा कई परीक्षार्थियों को विशेष उपचार दिया गया था, जो सभी सर्किट हाउस, खगड़िया में रुके थे; (h) विभिन्न जिलों के विभिन्न केंद्रों से कई शिकायतें परीक्षार्थियों द्वारा भेजी गई थीं, लेकिन उन्हें बेरहमी से नजरअंदाज कर दिया गया था; (i) आयोग ने छात्रों की इस आशंका को दूर करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया कि परीक्षा परिणामों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया लागू की जाएगी और इस कारण कई छात्रों ने परीक्षा की निर्धारित तिथि से पहले ही सामान्यीकरण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में 06.12.2024 को आयोग द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया कि परिणामों को सामान्यीकरण के अधीन नहीं किया जाएगा। (j) आयोग के अध्यक्ष को पहले भी करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी बनाए जाने के मुद्दे पर भी आपत्ति जताई गई है; (k) जिला प्रशासन ने 25.12.2024 और 29.12.2024 को आवेदकों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर अनावश्यक लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। कई आवेदक/अभ्यर्थी आपराधिक मामलों में आरोपी बनाए गए थे जो दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे थे।

5. 2025 के अंतरिम आवेदन संख्या 2 के माध्यम से, जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने पेनड्राइव में अतिरिक्त दस्तावेज और वीडियो क्लिप लाने की अनुमति मांगी। आयोग द्वारा जारी आवश्यक निर्देशों को भी रिकॉर्ड में लाया गया, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि (i) परीक्षा आयोजित करते समय आयोग की किसी भी महत्वपूर्ण सलाह और निर्देशों का पालन नहीं किया गया: जैसे छात्रों के सामने प्रश्न पत्र खोलना, बैठने की व्यवस्था का सुझाया गया पैटर्न; एक हॉल में अधिकतम छात्रों को बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए; छेड़छाड़-रोधी बैग फाड़े गए आदि। इसके अलावा, रिकॉर्ड में जो लाया गया है, वह है (m) 'एक्स' (पहले ट्विटर) और फेसबुक अकाउंट पर विभिन्न केंद्रों पर कदाचार का सुझाव देने वाले विभिन्न संदेश/पोस्ट; (n) कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि 13.12.2024 को दिन में लगभग 1:00 बजे प्रश्नपत्र लीक हो गए थे, जिन्हें मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से प्रसारित किया गया था और एक केंद्र पर, प्रश्नों के उत्तर बाहर से लाउडस्पीकर पर घोषित किए जा रहे थे।

6. इन सभी आरोपों के लिए, याचिकाकर्ता ने आवेदकों के फेसबुक पोस्ट पर भरोसा किया है, जिनमें से अधिकांश ने अपनी पहचान और अपने रोल-नंबर का भी खुलासा किया था ताकि यह संकेत दिया जा सके कि वे आवेदक थे और परीक्षा प्रक्रिया में रुचि नहीं रखने वाले व्यक्ति नहीं थे।

7. 2025 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 369 में, 14 याचिकाकर्ताओं द्वारा, यह आरोप लगाया गया था कि 13.12.2024 पर आयोजित परीक्षा में, पटना में बी. पी. पी. केंद्र में हंगामा हुआ था। यह संदेश फैलाया गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पेपर लीक होने की जानकारी मिलने पर कई उम्मीदवारों ने वॉकआउट किया और पूरी परीक्षा को भी बाधित कर दिया। प्रश्न पत्रों को केंद्र से बाहर ले जाया गया और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। उन प्रश्न-पत्रों को आवेदकों ने बिहार राज्य की आर्थिक अपराध इकाई

की आधिकारिक साइट पर भी दोपहर 1:00 बजे भेज दिया और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। बीपीपी केंद्र पर अन्य अनियमितताएं भी थीं, जो केवल एक केंद्र तक सीमित नहीं थीं, बल्कि इस तरह की गड़बड़ियों ने पूरे राज्य में कई परीक्षा केंद्रों को प्रभावित किया। उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई एक और आपत्ति यह थी कि उन्हें गलत प्रश्न श्रृंखला दी गई थी और उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के लिए, परीक्षा केंद्र अधीक्षकों ने लगभग 20-45 मिनट का समय लिया, जिससे आवेदकों का लिखने का समय बर्बाद हो गया। छात्रों में से एक, सोनू कुमार, जिसका रोल नंबर 557149 है, ने आयोग से इस संबंध में एक विशेष शिकायत की। केन्द्र अधीक्षकों द्वारा समुचित अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई केन्द्रों पर प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों की उपस्थिति में नहीं खोले गए तथा प्रवेश-पत्रों पर होलोग्राम भी नहीं थे। एक अन्य गंभीर शिकायत यह थी कि पूरी परीक्षा अवधि के दौरान जैमर भी क्रियाशील नहीं थे, जिससे प्रश्न-पत्र लीक होने तथा इसके परिणामस्वरूप परीक्षा में अशुद्धि होने की प्रबल आशंका थी। परीक्षा की निर्धारित तिथि से कुछ दिन पहले ही कई हजार विद्यार्थियों का परीक्षा केन्द्र बदलना इस बात को दर्शाता है कि आयोग इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। 04.01.2025 को आयोजित पुनः परीक्षा में यद्यपि लगभग 8000 अभ्यर्थियों ने प्रवेश-पत्र डाउनलोड किए थे, परन्तु केवल 5943 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा भी एक जांच शुरू की गई थी, जिसके बारे में उम्मीदवारों को समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चला। आयोग द्वारा केवल एक केंद्र के संबंध में फिर से परीक्षा लेने पर विचार करने पर गंभीर आपत्ति थी, भले ही विभिन्न जिलों में विभिन्न केंद्रों पर कदाचार के आरोप लगाए गए थे। आयोग के सचिव पर आरोप है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर एक बयान दिया था कि परिणाम तैयार करने में स्केलिंग लागू की जाएगी, जिसके बारे में विज्ञापन या आयोग द्वारा प्रकाशित एस. ओ. पी. में कोई संदर्भ नहीं था।

8. यह आग्रह किया गया कि ये आधार स्पष्ट रूप से कदाचार और अकादमिक धोखाधड़ी/बेईमानी को दर्शाते हैं, जिससे समग्र रूप से प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रत्ययता में सार्वजनिक विश्वास के लिए खतरा पैदा होता है। इसने चयन प्रक्रिया की शुद्धता को नष्ट कर दिया। यह सुझाव दिया गया कि इस अविश्वास को दूर करने और सही दिशा तय करने का एकमात्र तरीका सभी आवेदकों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करना है।

9. प्रशांत शेखर और 28 अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1437/2025) में आरोप लगाया गया है कि 13.12.2024 को आयोजित परीक्षा के लिए आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम उत्तर-कुंजी में कुल 10 गलत उत्तर दिए गए थे। उन्होंने सही उत्तर के लिए स्रोत सामग्री के आधार पर ऐसा कहा है जिसे रिकॉर्ड में लाया गया है। इसी तरह, 04.01.2025 पर आयोजित परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर-कुंजी में 4 गलत उत्तर दिए गए थे। पेपर लीक होने के आरोप के संबंध में, वॉट्सऐप चैट की प्रतियां और ट्विटर पोस्ट रिकॉर्ड में लाई गई हैं। उपरोक्त रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वास्तव में यह तर्क दिया गया था कि 04.01.2025 को पुनः परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 13.12.2024 को भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की तुलना में बढ़त प्राप्त थी, क्योंकि 04.01.2025 को दो प्रश्न दोहराए गए थे और 20 प्रश्न लगभग एक ही पैटर्न पर थे। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया गया कि इसने संविधान के समानता खंड का उल्लंघन किया।

10. अन्य रिट याचिकाएं अर्थात् सीडब्ल्यूजेसी संख्या- 1723/2025, 2842/2025 और 978/2025 में भी यही आरोप लगाए गए हैं।

11. आयोग ने ऐसी सभी याचिकाओं का उत्तर देते हुए सबसे पहले याचिकाकर्ता/ट्रस्ट अर्थात् आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 752/2025) के अधिकार क्षेत्र के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया। ट्रस्ट ने न तो अपना पंजीकरण नंबर

बताया है और न ही उस प्राधिकरण का नाम बताया है जिसके पास ट्रस्ट पंजीकृत है। आयोग ने तर्क दिया कि ट्रस्टियों के विवरण; ट्रस्ट के संचालन का क्षेत्र और दायरा; हाल के दिनों में की गई गतिविधियाँ; ट्रस्ट डीड; इसके धर्मार्थ उद्देश्य; वित्त के स्रोत; संपत्ति; शासी उपनियम आदि के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस आधार पर यह आग्रह किया गया कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह तर्क दिया गया कि ट्रस्ट/याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय नियमावली के अध्याय XXI CC में निहित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है, जो विशेष रूप से जनहित याचिका से संबंधित है: नियम-6 के अनुसार याचिकाकर्ता को जनहित याचिका के लिए प्रासंगिक अपनी रुचि, साख, योग्यता का खुलासा करने के लिए अपना पूरा विवरण देना होगा और साथ ही यह घोषणा भी करनी होगी कि उसका संबंधित जनहित याचिका में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत हित नहीं है। इसके अलावा, याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए कोई सहायक डेटा प्रदान नहीं किया गया है। दी गई जानकारी सभी अर्थ सत्य और काल्पनिक हैं। आयोग के खिलाफ याचिका में बेबुनियाद और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं।

12. आयोग के पूर्व उल्लिखित तर्क के समर्थन में कि इस याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, माननीय के फैसले का संदर्भ दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गुरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2005) 5 एससीसी 136 के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जिसमें यह माना गया है कि न्यायालय को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले आवेदक की साख, उसके द्वारा दी गई जानकारी की प्रकृति की प्रथम दृष्टया सत्यता, तथा वह जानकारी अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, के बारे में संतुष्ट होना चाहिए। न्यायालय को हमेशा दो परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना होता है, अर्थात् किसी को भी दूसरों के चरित्र पर दाग लगाने वाले बेबुनियाद और लापरवाह आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सार्वजनिक उपद्रव से बचना चाहिए।

13. अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य; (2004) 3 एससीसी 349 में, सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया है कि जनहित याचिका की तुलना एक हथियार से की गई है जिसका इस्तेमाल बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून के शस्त्रागार में एक प्रभावी हथियार के रूप में ही किया जाना चाहिए। जनहित याचिका के आकर्षक ब्रांड-नाम को संदिग्ध और शरारती उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; बल्कि इसका उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक गलती या सार्वजनिक क्षति के निवारण पर होना चाहिए, लेकिन कभी भी प्रचार उन्मुख दावे या व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित तथ्य नहीं होने चाहिए।

14. आयोग की आपत्ति का जवाब याचिकाकर्ता ने ट्रस्ट के गठन के संबंध में विवरण प्रदान करके दिया।

15. यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सामान्यतः लोकहित याचिका में लोकस (अधिकार) का पहलू कम महत्व प्राप्त करता है, और यह कि यहां मुद्दे उन छात्रों से संबंधित हैं जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और अनियमितताओं के कारण पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं, हमने याचिकाकर्ता को सुनना उपयुक्त समझा है।

16. उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता/आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे याचिकाकर्ता को अधिकार क्षेत्र के उच्च न्यायालय में जाने का सुझाव देते हुए निपटाया गया था। शेष रिट याचिकाओं की सुनवाई इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की जा रही थी। यह देखते हुए कि इन याचिकाओं में उठाए गए सभी मुद्दे समान हैं, सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया और प्रत्येक याचिका पर सुनवाई की गई।

17. आयोग ने शेष याचिकाओं का जवाब देते हुए इस न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया कि बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 1957 के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आयोग को अनुरोध भेजा था। इस तरह की मांग के अनुसार, प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए 23.09.2024 पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 04.11.2024 तक बढ़ा दी गई थी। दिनांक 09.12.2024 को आयोग द्वारा एक नोटिस प्रकाशित किया गया जिसमें अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए तथा उन्हें बताया गया कि दिनांक 13.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह परीक्षा 12 बजे से प्रारम्भ होकर अपरान्ह 2:00 बजे तक चलेगी।

18. सभी 912 परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षकों ने बताया कि 13.12.2024 पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी। हालांकि, पटना में बी. पी. पी. केंद्र नामक एक केंद्र में गड़बड़ी हुई। इस प्रकार आयोग द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, पटना से 15.12.2024 पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई और प्राप्त की गई। रिपोर्ट ने संकेत दिया कि कुछ अवांछनीय तत्वों/आवेदकों ने बी. पी. पी. केंद्र में हंगामा किया और प्रश्न पत्र छीनने के बाद इसे परीक्षा हॉल के बाहर ले गए। उन उम्मीदवारों ने केवल अफवाह फैलाई कि परीक्षा रद्द की जा रही है। उन्होंने उन अन्य उम्मीदवारों को परेशान किया जो शांतिपूर्वक अपने पर्चे लिख रहे थे। रिपोर्ट में आगे संकेत दिया गया है कि उनमें से कुछ ने केंद्र अधीक्षक को यह घोषणा करने की धमकी दी कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसी सिलसिले में परीक्षा केंद्र से कुछ प्रश्न पुस्तिकाएं बाहर ले जाई गईं, लेकिन तब तक दोपहर करीब 1:00 बजे थे।

19. याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज करते हुए आयोग ने दावा किया है कि टीईएस बैग में रखी गई सभी मुद्रित प्रश्न पुस्तिकाएं अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के

सामने खोली गई थी। हालांकि, रिपोर्ट में माना गया है कि पांच मंजिलों वाले बीपीपी केंद्र के विशाल आकार के कारण प्रश्नपत्रों के वितरण में लगभग 10-15 मिनट की देरी हुई। उम्मीदवारों को यह बताया गया था कि उन्हें सामान्य अभ्यास के अनुसार 10-15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ, कुछ उम्मीदवारों ने, जो शायद परीक्षा लिखने में रुचि नहीं रखते थे, ने गड़बड़ी पैदा की। कुछ छात्रों के खिलाफ आपराधिक मामला भी चलाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षा को रद्द करने के उद्देश्य से बीपीपी केंद्र पर अशांति और अराजकता पैदा करने की एक सोची-समझी साजिश थी।

20. सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह सर्कुलेशन दोपहर 1:00 बजे के आसपास का था, जब अन्य सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से चल रही थी। 'एक्स' पर लगी पोस्ट उसी प्रश्न पत्र की थी जिसे बी. पी. पी. केंद्र में लूटा गया था। इस संदर्भ में, यह कहा गया है कि उम्मीदवारों की सख्ती से तलाशी ली गई और उन्हें स्मार्ट घड़ियों, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरणों आदि सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा-कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रतिबंधित करने के लिए 13000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगाए गए थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रश्न पुस्तिकाओं में से एक दोपहर लगभग 1:00 बजे सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई थी, आयोग के अनुसार, जैमर के कारण बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के सैनिटाइज्ड परीक्षा हॉल में बैठे किसी भी उम्मीदवार को यह नहीं बताया गया था। फिर भी, आयोग ने 16.12.2024 को अपनी बैठक बुलाई और सभी सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया क्लिप, विभिन्न केंद्र अधीक्षकों और विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट, पटना की रिपोर्ट और उम्मीदवारों की शिकायतों की सावधानीपूर्वक जांच की। उचित विचार-विमर्श के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बी. पी. पी. केंद्र में उत्पन्न परेशानी के कारण, जहां छात्रों को परीक्षा लिखने से रोका गया था और कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट कर दिया गया था, केवल उस परीक्षा केंद्र के उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करना आवश्यक था।

आयोग ने यह भी तर्क दिया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करना लगभग पांच लाख उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। आयोग ने पहले के उदाहरणों, खासकर 66 वीं बीपीएससी परीक्षा के संबंध में अपने फैसले का हवाला दिया, जहां समान परिस्थितियों में एक केंद्र में दोबारा परीक्षा को प्राथमिकता दी गई थी।

21. 04.01.2025 पर पुनः परीक्षा में 5943 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।

22. 4 जनवरी, 2025 को पुनः परीक्षा के सफल आयोजन के बाद, आयोग को विषय विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई दोनों परीक्षाओं (13.12.2024 और 04.01.2025) के लिए प्रश्न पत्रों की अनंतिम उत्तर-कुंजी प्राप्त हुई। 8 जनवरी, 2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें 10.01.2025 से 16.01.2025 के बीच उम्मीदवारों से अनंतिम उत्तर-कुंजी के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की गई थीं। एक प्रेस नोट जारी किया गया था कि विषय विशेषज्ञों द्वारा उम्मीदवारों की सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी।

23. आयोग को सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र के कुछ प्रश्नों के अनंतिम मॉडल उत्तरों के संबंध में अभ्यर्थियों से लगभग 4900 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे। सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र के 150 प्रश्नों में से 4 प्रश्न अर्थात् ई सीरीज के प्रश्न संख्या 58, 101, 114 और 117, जिनकी परीक्षा 13.12.2024 को आयोजित की गई थी और 4 प्रश्न अर्थात् 1 सीरीज के प्रश्न संख्या 5, 13, 79 और 91, जिनकी परीक्षा 04.01.2025 को आयोजित की गई थी, को हटाया जाना आवश्यक था और रिपोर्ट में ऐसे प्रत्येक उत्तर के लिए विस्तृत कारण दर्ज किए गए थे। विषय विशेषज्ञ समिति ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर-कुंजी को भी अंतिम रूप दिया, जिनके लिए परीक्षा 13.12.2024 और 04.01.2025 पर आयोजित की गई थी। वास्तव में, यह कहा गया है कि ओ. एम. आर. पत्रकों का मूल्यांकन करने से पहले,

पर्याप्त सावधानी और पारदर्शिता के माध्यम से, आयोग ने उम्मीदवारों की ओ. एम. आर. पत्रकों को प्रकाशित किया, जिसमें केवल उम्मीदवारों की सीमित पहुंच थी और 21 जनवरी, 2025 तक आपत्तियां/दावे आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद ही, यानी दावों और आपत्तियों के मूल्यांकन के बाद, विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार अंतिम उत्तर-कुंजी के आधार पर ओ. एम. आर. पत्रकों का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद तैयार परिणाम 23.01.2025 को प्रकाशित किए गए, जिसमें कुल 21581 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।

24. जहां तक एस. ओ. पी. के पालन का संबंध है, आयोग ने परीक्षा केंद्रों के महत्वपूर्ण स्थानों पर जैमर लगाने के लिए मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक सार्वजनिक उपक्रम, को नियुक्त किया था। 912 केंद्रों पर लगभग 13000 जैमर लगाए गए थे।

25. आयोग के अनुसार, सभी उम्मीदवारों, पर्यवेक्षकों, परीक्षा कर्तव्यों के लिए प्रतिनियुक्त अन्य कर्मचारियों को परीक्षा केंद्र के अंदर कोई संचार उपकरण लाने की अनुमति नहीं थी। उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पहचान की तस्वीर लेने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।

26. 5000 उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र बदलने के आरोप के संबंध में आयोग ने उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया है। 10.12.2024 पर, आयोग द्वारा एक नोटिस प्रकाशित किया गया था, जिसमें उम्मीदवारों को स्पष्ट और सूचित किया गया था कि उन्हें नवादा केंद्र में उपस्थित होना है क्योंकि कुछ उम्मीदवारों के प्रवेश पत्रों पर एक टंकण संबंधी त्रुटि थी। केंद्र कोड 'एनएडब्ल्यू' था, जिसका अर्थ है नवादा। इसलिए, किसी भी उम्मीदवार को गुमराह होने से रोकने के लिए तत्काल एहतियाती उपाय किए गए थे। उन उम्मीदवारों को उनके ई-मेल पते और एस. एम. एस. पर सूचित किया गया था। अब तक ऐसे किसी भी उम्मीदवार ने अंतिम समय में केंद्र बदलने या भ्रामक जानकारी के खिलाफ शिकायत नहीं की है। 12.12.2024 पर, उम्मीदवारों तक आसान पहुंच के लिए परीक्षा केंद्रों के पते को स्पष्ट करते

हुए एक और नोटिस जारी किया गया था। इस प्रकार, बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या एस. ओ. पी. या व्यापक पेपर लीक का पालन करने में बड़े पैमाने पर चूक के किसी भी आरोप को नकारते हुए, प्रश्न पत्र समय पर उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच रहे हैं, आयोग का तर्क है कि पुनः परीक्षा केवल ऐसे छात्रों की पुकार है जो सफल नहीं हुए हैं या जो परीक्षा प्रक्रिया में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। रिट याचिकाओं में लगाए गए आरोपों में विवरण या पर्याप्त सबूत का अभाव है और इस प्रकार, असत्यापित हैं।

27. अभिलेखों का अवलोकन करने और याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात हमने पाया कि यद्यपि पेपर लीक होने और आयोग द्वारा एसओपी का पालन न करने के आधार पर सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा की लगातार और जोरदार मांग की गई है, लेकिन पटना स्थित बीपीपी केंद्र, जो सबसे बड़े केंद्रों में से एक था और जिसमें अधिकतम अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया था, में गड़बड़ी के सबूत के अलावा किसी अन्य केंद्र से कोई गंभीर शिकायत नहीं है।

28. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि केंद्र अधीक्षकों के स्व-प्रमाणन को अंतिम शब्द के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जो आयोग के अनुकूल है। यहां तक कि अगर एक उम्मीदवार परीक्षा की निष्पक्षता से असंतुष्ट रहता है, और ऐसा कहने का आधार काफी हद तक साबित हो जाता है, तो प्रक्रिया की शुद्धता को चुनौती दी जाती है और समझौता किया जाता है।

29. याचिकाकर्ताओं ने ज्यादातर उम्मीदवारों की टिप्पणियों/शिकायतों पर भरोसा किया है, कुछ मामलों में परीक्षा के बाद उनकी पहचान और रोल नंबर भी दिए गए हैं। ये केवल व्हाट्सएप संदेश और कुछ छिटपुट शिकायतें हैं, जो सत्यापन के बाद प्रमाणित नहीं पाई गईं।

30. सचिन कुमार एवं अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) एवं अन्य; (2021) 4 एससीसी 631 में, किसी परीक्षा को दोषपूर्ण मानने वाले न्यायिक निर्णय के संबंध में कानून में स्थिति निर्धारित की गई है।

31. सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों का मूल्यांकन करने के बाद यह माना कि इस मुद्दे का उत्तर अनिवार्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रक्रिया में अनियमितता प्रणालीगत स्तर पर हुई है जिससे प्रक्रिया की पवित्रता को ठेस पहुंची है। कुछ मामलों में, परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी स्वयं इस निष्कर्ष पर आ सकता है कि किसी भी पर्यवेक्षी घटना या परिस्थितियों के लिए प्रक्रिया के विध्वंस के परिणामस्वरूप प्रक्रिया अपनी वैधता खो देती है, पूरी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस स्थिति में, कदाचार या अनुचित साधनों के उपयोग से जुड़े व्यक्तिगत कृत्यों में कोई तथ्य खोजने की कवायद नहीं है। ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब प्रक्रिया की एक प्रणालीगत विफलता होगी जहां प्रक्रिया में बेदाग प्रतिभागियों से दागी को अलग करना मुश्किल होगा। दूसरी स्थिति यह होगी कि प्रक्रिया में कुछ प्रतिभागी अनियमितताओं का आरोप लगाते हैं। उस स्थिति में, उन व्यक्तियों या उम्मीदवारों को किसी विशेष केंद्र पर फिर से परीक्षा के लिए अलग करना और दूसरों को प्रक्रिया से अलग करना संभव हो सकता है। इससे उन उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने का उद्देश्य पूरा होता है जिन्होंने अपना काम किया है और दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी चाहिए। गलत करने वालों को अलग करना और चयन प्रक्रिया को जारी रखने और उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की अनुमति देना सेवा न्यायशास्त्र का एक स्वीकृत सिद्धांत है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत निहित बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। फिर भी, यदि प्रणालीगत अनियमितताओं का प्रमाण मिलता है, तो पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाती है।

32. उच्चतम न्यायालय ने जिस बात पर जोर दिया है, वह यह है कि जब भी कदाचार में लिप्त व्यक्तियों को अलग करना संभव होगा और भर्ती या परीक्षा लेने वाला निकाय ऐसा नहीं करेगा, तो यह मेहनती आवेदकों के लिए अनुचित होगा, जिन्हें पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के परिणामों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह अनुच्छेद 14 के विपरीत होगा क्योंकि उस स्थिति में असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया गया होगा। एक भर्ती निकाय, निस्संदेह न्यायिक नियंत्रण के अधीन है, लेकिन केवल स्थापित सिद्धांतों पर कि भर्ती प्राधिकरण के पास कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए विवेकाधिकार होना चाहिए जो प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त है।

33. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा एवं अन्य; (1970) 1 एससीसी 648 में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बिहार के एक जिले में एक विशेष केंद्र के संबंध में वार्षिक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा को रद्द करने के निर्णय को चुनौती देने वाले मामले पर विचार करते हुए पाया कि परीक्षा समिति की अनुचित साधन समिति ने मॉडरेटरों से उन सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने को कहा था, जिनमें उत्तर प्रतिशत 80% या उससे अधिक था। समिति ने बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों के इस्तेमाल की रिपोर्ट की थी। बोर्ड के अध्यक्ष ने तब उस विशेष केंद्र पर सभी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी थी, जिससे परीक्षार्थियों को बाद में पूरक परीक्षा में फिर से शामिल होने की अनुमति मिल गई, लेकिन उन्हें नए शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ा, बोर्ड ने अध्यक्ष के इस निर्णय को मंजूरी दे दी। उच्च न्यायालय ने बोर्ड की कार्रवाई को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि परीक्षार्थियों को कारण बताओ नोटिस और सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिस पर अध्यक्ष ने आदेश पारित किया।

34. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त निर्णय को स्वीकार नहीं किया तथा कहा कि यदि पूरी परीक्षा रद्द की जा रही है तो अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की

कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा को दूषित किया गया। परीक्षा का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का मूल्यांकन किसी बाहरी स्रोत की सहायता के बिना किया जाता है। यदि किसी विशेष केंद्र पर सफलता दर 100% है, जबकि अन्य केंद्रों पर यह दर औसतन केवल 50% है, तो यह अनुमान सही है कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। यदि पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि बोर्ड का निष्कर्ष सही था तथा पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए, तो समस्या के ऐसे मूल्यांकन का सम्मान किया जाना चाहिए तथा न्यायालय द्वारा बोर्ड को अन्यथा करने के लिए कहना कोई अच्छा काम नहीं करेगा।

35. अनामिका मिश्रा और अन्य बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद और अन्य; (1990) पूरक एस.सी.सी. 692 में मुद्दा यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य की शैक्षिक सेवा में विभिन्न पदों पर भर्ती में यह पाया गया कि लिखित परीक्षा के बाद कंप्यूटर में डेटा की अनुचित फीडिंग के कारण कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया जिन्होंने लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया था और कम अंक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उन्हें अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि जब लिखित परीक्षा के संबंध में कोई दोष नहीं था और एकमात्र आपत्ति साक्षात्कार के लिए लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के एक समूह के बहिष्कार तक सीमित थी, तो भर्ती परीक्षा के लिखित भाग को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था। लिखित परीक्षा के आधार पर सभी योग्य उम्मीदवारों के नए साक्षात्कार के लिए कहकर स्थिति को ठीक किया जा सकता था।

36. यह उन प्रतिनिधि मामलों में से एक था जहां पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं माना गया था क्योंकि लिखित परीक्षा में कोई प्रणालीगत दोष नहीं था और मुद्दा केवल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के संबंध में था।

37. माध्यमिक शिक्षा मंडल, एम.पी. बनाम अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति एवं अन्य; (1998) 9 एस.सी.सी. 236 में बोर्ड ने नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी, जिसमें पाया गया था कि छात्र सामूहिक नकल कर रहे हैं। बोर्ड के निर्णय को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निरस्तीकरण असंवैधानिक था। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से सहमत नहीं था क्योंकि उसे उच्च न्यायालय में बोर्ड द्वारा परीक्षा को रद्द करने के लिए लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई दिया। उस मामले में निर्दोष छात्रों की मदद नहीं की जा सकी क्योंकि परीक्षा देने वाली संस्था कदाचार में लिस निर्दोष छात्रों की पहचान करने का बेहद कठिन काम नहीं कर सकती थी।

38. भारत संघ और अन्य बनाम राजेश पी. यू., पुथुवलनिकाथु और अन्य (2003) 7 एस. सी. सी. 285 में, जहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने वाले कुछ अधिकारियों द्वारा पक्षपात और लिखित परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप पर पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस विचार की पुष्टि की कि पूरे चयन को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था जब योग्यता के मूल्यांकन में अनियमितताओं के प्रभाव की पहचान विशेष रूप से उम्मीदवारों की विशेष संख्या के संबंध में की जा सकती थी।

39. इंद्रप्रीत सिंह कहलौं एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2006) 11 एससीसी 356 में भी यही सिद्धांत दोहराया गया था कि दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

40. सचिन कुमार (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामलों में दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए जोगिंदर पाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य; (2014) 6 एससीसी 644; अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड और अन्य बनाम के. श्याम कुमार और अन्य; (2010) 6 एससीसी 614; तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम ए. कलाईमणि और अन्य; (2021) 16 एससीसी 217 और गोहिल विश्वराज हनुभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य; (2017) 13 एससीसी 621 में दिए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए यह टिप्पणी की है कि:

“66. लोक सेवाओं में भर्ती से जनता का विश्वास बढ़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की भर्ती की जाती है, उनका उद्देश्य सरकार के कामकाज से जुड़े सार्वजनिक कार्यों को पूरा करना होता है। जहाँ पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, वहाँ इसके रद्द होने से निस्संदेह कुछ लोगों को कठिनाई हो सकती है जो विशेष रूप से गलत काम में शामिल नहीं पाए जा सकते हैं। लेकिन यह उस परीक्षा को रद्द करने के अंतिम निर्णय को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसमें गलत काम की प्रकृति पूरी प्रक्रिया में कटौती करती है ताकि भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं की वैधता पर गंभीरता से प्रभाव डाला जा सके। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण ने, हमारे विचार में, दूसरी समिति की रिपोर्ट पर विशेष ध्यान केंद्रित करने में गलती की है जो प्रतिरूपण के मुद्दे तक ही सीमित थी। दूसरी समिति की रिपोर्ट मामले का केवल एक पहलू है। उप-मुख्यमंत्री ने इससे आगे बढ़ना उचित समझा और अंततः सिफारिश की कि पहली समिति की रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उन निष्कर्षों को न तो मिटा दिया गया है और न ही न्यायाधिकरण ने उन निष्कर्षों में कोई त्रुटि पाई है। मामले के इस दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के निर्णय अस्थिर हैं।”

41. तन्वी सरवाल बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य; (2015) 6 एससीसी 573, जिसमें जांच से पता चला था कि परीक्षा में कुछ लोगों के गिरोह की गहरी साजिश सामने आई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से परीक्षा के दौरान लाभार्थी उम्मीदवारों तक उत्तर कुंजी तक पहुंचने में सक्षम थे ताकि वे प्रश्नपत्र हल कर सकें और उत्तर कुंजी का लाभ कई उम्मीदवारों ने उठाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय प्री-मेडिकल और प्री-डेंटल टेस्ट, 2015 को रद्द करने की अनुमति दी, इस तथ्य के बावजूद कि इससे निश्चित रूप से मृदुल धर (नाबालिग) और अन्य (5) बनाम भारत संघ और अन्य; (2005) 2 एससीसी 65 और प्रिया गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य; (2012) 7 एससीसी 433 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी में बाधा उत्पन्न होती।

42. यहां जिस बात पर जोर देने की आवश्यकता है, वह यह है कि केवल असाधारण तथ्य स्थितियों में जहां विचाराधीन परीक्षा को सामान्य रूप से उम्मीदवारों को लाभान्वित करने वाले छलपूर्ण साधनों के उपयोग से मूल रूप से दूषित किया जाता है, पूरी परीक्षा को रद्द किया जा सकता है।

43. वंशिका यादव बनाम भारत संघ और अन्य; (2024) 9 एससीसी 743, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों में से एक, में कानून की स्थिति स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गई थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी है कि यह एक स्थापित कानून है कि किसी भी पेशेवर या अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से या सरकारी पदों पर भर्ती के उद्देश्य से परीक्षा को रद्द करना केवल उन मामलों में उचित है जहां परीक्षा की पवित्रता से प्रणालीगत स्तर पर समझौता किया जाता है। न्यायालय किसी परीक्षा को रद्द करने का निर्देश दे सकता है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे रद्दीकरण को तभी मंजूरी दे सकता है जब दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव न हो।

44. फिर से, अनामिका मिश्रा, सुभाष चंद्र सिन्हा, माध्यमिक शिक्षा मंडल, एम.पी. और सचिन कुमार (सुप्रा) का संदर्भ लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह जांचने का उद्देश्य कि क्या परीक्षा की अखंडता से प्रणालीगत स्तर पर समझौता किया गया है, यह सुनिश्चित करना है कि पहले से हो चुकी परीक्षा को रद्द करना और नई परीक्षा आयोजित करना एक आनुपातिक प्रतिक्रिया है। उस संदर्भ में, यह कहा गया था कि यह इस कारण से है कि न्यायालयों को अनुचित साधनों के उपयोग की सीमा का आकलन करना चाहिए, और अलग से, यह विचार करना चाहिए कि क्या दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग करना संभव है। उपर्युक्त निर्णय में निर्देश यह है कि न्यायालयों द्वारा एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

45. इस तरह के निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाए कि क्या परीक्षा में व्यापक अनियमितताएं हुई हैं?

46. न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कदाचार के आरोपों की पुष्टि हो और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री उस निष्कर्ष की ओर इशारा करती हो। न्यायालय को उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कम से कम कुछ सबूत तो होने ही चाहिए। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि परीक्षण के इस मानक को अत्यधिक सख्त होने की आवश्यकता नहीं है, यानी यह कहना जरूरी नहीं है कि अनियमितताओं के बारे में बताई गई सामग्री से यह संकेत मिले कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति केवल यही निष्कर्ष निकालेगा कि कदाचार प्रणालीगत स्तर पर हुआ है, अन्यथा नहीं।

47. पुनः परीक्षा की मांग के लिए कदाचार, धोखाधड़ी और पेपर लीक के अलावा प्रमुख आधारों में से एक यह है कि मॉडल के प्रमुख उत्तरों में कई प्रश्नों का गलत उत्तर दिया गया था। पहले इस विषय पर कानून का उल्लेख करना लाभदायक होगा, जैसा कि पांच दशकों में विकसित हुआ है। न्यायालयों ने विषय विशेषज्ञों की राय को उचित महत्व

देते हुए बहुत सीमित आधार पर मॉडल प्रमुख उत्तरों में सुझाए गए उत्तरों को इस तरह की चुनौतियों पर विचार किया है।

48. कानपुर विश्वविद्यालय में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कुलपति एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य (1983) 4 एससीसी 309 के माध्यम से एक ऐसे मामले पर विचार किया था, जिसमें मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में पेपर-सेटर द्वारा दिए गए मुख्य उत्तरों को चुनौती दी गई थी। क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रश्नों की चुनौती को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को उलट दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, न्यायालय द्वारा इस तरह के निष्कर्ष छात्र समुदाय को बहुत प्रभावित करेंगे। इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी प्रमुख उत्तर की शुद्धता को तब तक चुनौती नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह गलत न हो। प्रमुख उत्तरों को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए और तर्क की एक अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए।(जोर दिया गया)

49. कानपुर विश्वविद्यालय (सुप्रा) में उपरोक्त निर्णय के बाद, मनीष उज्ज्वल एवं अन्य बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एवं अन्य; (2005) 13 एससीसी 744 में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मुख्य उत्तरों के गलत होने की स्थिति में, सही उत्तर देने के लिए छात्रों को दंडित करना अनुचित होगा। उस मामले में उच्च न्यायालय ने संदेह व्यक्त किया था कि क्या यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रमुख उत्तरों में दिए गए प्रश्नों के उत्तर गलत और अनुचित थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया, खासकर तब जब मुख्य उत्तर स्पष्ट और प्रमाणित रूप से गलत है।

50. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग एवं अन्य; (2005) 13 एससीसी 749 में सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय को सीबीएसई द्वारा दिए गए प्रमुख उत्तरों के संदर्भ में 8 प्रश्नों के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था।

51. राजेश कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2013) 4 एस. सी. सी. 690 में तथ्य यह थे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। चयन प्रक्रिया में एक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा शामिल थी। असफल अभ्यर्थियों ने चयन पर आपत्ति जताई थी। उच्च न्यायालय ने मॉडल प्रमुख उत्तरों को विशेषज्ञों को भेजा था और विशेषज्ञों की रिपोर्टों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना था कि 100 में से 41 मॉडल उत्तर गलत थे। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पूरी परीक्षा और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों को भी रद्द किया जा सकता है। इस फैसले को पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को यह मानते हुए संशोधित किया गया था कि पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। डिवीजन बेंच के फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। उस परिस्थिति में, उच्चतम न्यायालय का विचार था कि उत्तर कुंजी में दोष की प्रकृति को देखते हुए, लिपियों के मूल्यांकन को सही करने का सबसे स्वाभाविक और तार्किक तरीका कुंजी को सही करना और उत्तर लिपियों का पुनर्मूल्यांकन करना था। इन परिस्थितियों में, उच्चतम न्यायालय की राय में, आयोग द्वारा एक नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं था, विशेष रूप से जब किसी भी कदाचार, धोखाधड़ी या भ्रष्ट उद्देश्य के बारे में कोई आरोप नहीं था जो संभवतः पूरी परीक्षा को दूषित कर सकता था। पुनर्मूल्यांकन एक बेहतर विकल्प था।

52. रिशाल और अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य; (2018) 8 एस. सी. सी. 81 में, यह माना जाता है कि पेपर-सेटर्स या परीक्षण निकाय द्वारा तैयार किए गए प्रमुख उत्तर उचित विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए थे। प्रमुख उत्तरों का प्रकाशन पारदर्शिता प्राप्त करने और उम्मीदवारों को उत्तरों की शुद्धता का आकलन करने का अवसर देने के लिए एक कदम है। जांच निकाय द्वारा अपलोड किए गए मुख्य उत्तरों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का अवसर प्रक्रिया में निष्पक्षता और पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। प्रमुख उत्तरों पर आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जानी चाहिए और उसके बाद जाँच निकाय द्वारा सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हों, किए जाने चाहिए।

53. रिशाल (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद, आयोग द्वारा अंतिम प्रमुख उत्तर प्रकाशित किए गए थे, जिसके बाद आयोग द्वारा अपनाए गए प्रमुख उत्तरों की शुद्धता को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार करते हुए चुनौती को खारिज कर दिया था। उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उच्चतम न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति को प्रश्नों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी कुछ अपीलार्थियों को संतुष्ट नहीं कर सकी। उच्चतम न्यायालय ने अंततः राजस्थान लोक सेवा आयोग को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर सभी अपीलार्थियों सहित सभी उम्मीदवारों के परिणाम को संशोधित करने और पूरे संशोधित परिणाम को प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

54. रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; (2018) 2 एससीसी 357 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कई केस कानूनों का हवाला देने के बाद, जिनमें ऊपर संदर्भित मामले शामिल हैं [हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर एवं अन्य; (2010) 6 एससीसी 759, परितोष भूपेशकुमार शेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक

एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; (1980) एससीसी ऑनलाइन बॉम 148, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं अन्य; (2004) 6 एससीसी 714, सचिव डब्ल्यूबी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास एवं अन्य; (2007) 8 एससीसी 242; माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा एवं अन्य; (2004) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा एवं अन्य बनाम डी. सुवनकर एवं अन्य; (2007) 1 एससीसी 603 और सचिव, अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम खुशबू श्रीवास्तव और अन्य; (2014) 14 एस. सी. सी. 523], ने निम्नलिखित निष्कर्ष सूचीबद्ध किए:-

(क) यदि परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन अधिकार के रूप में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर पुस्तिका की जांच की अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकरण इसकी अनुमति दे सकता है;

(ख) यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई कानून, नियम या विनियमन उत्तर-पत्र के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है, तो न्यायालय पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब इसे बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए, बिना किसी तर्क की अनुमानित प्रक्रिया के या तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया द्वारा और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में जहां कोई भौतिक त्रुटि हुई हो;

(ग) न्यायालय को किसी उम्मीदवार की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना सबसे अच्छा है।

(घ) न्यायालय को प्रमुख उत्तरों की शुद्धता का अनुमान लगाना चाहिए और उस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए; और

(ड) संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवारों के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए।

55. रण विजय सिंह (ऊपर) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से यह अवलोकन किया कि सहानुभूति या करुणा उत्तर-पत्र के पुनर्मूल्यांकन को निर्देशित करने या निर्देशित नहीं करने के मामले में कोई भूमिका नहीं निभाती है। यदि परीक्षा प्राधिकरण द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो उम्मीदवारों के पूरे समूह को नुकसान होता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया केवल इसलिए पटरी से उतरने योग्य नहीं है क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या किसी गलत प्रश्न या गलत उत्तर से उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। सभी उम्मीदवारों को समान रूप से नुकसान होता है, हालांकि कुछ को अधिक नुकसान हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि गणितीय सटीकता हमेशा संभव नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित तरीका संदिग्ध या आपत्तिजनक प्रश्न को बाहर करना है।

56. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों के बावजूद, अदालतों द्वारा परीक्षा के परिणाम में हस्तक्षेप किया गया है। यह परीक्षा प्राधिकरणों को एक ऐसी स्थिति में रखता है जहां वे जांच के दायरे में हैं न कि उम्मीदवार। इसके अतिरिक्त, एक व्यापक और कभी-कभी लंबे समय तक चलने वाला परीक्षा अभ्यास अनिश्चितता की हवा के साथ समाप्त होता है। परीक्षा की तैयारी में बहुत प्रयास करने वाले छात्रों की तरह, परीक्षा अधिकारियों ने भी परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए उतने ही बड़े प्रयास किए। इसमें शामिल कार्य की विशालता के कारण कुछ चूक हो सकती है, लेकिन अदालतों के लिए उचित तरीका आंतरिक नियंत्रण और संतुलन और कोई भी हस्तक्षेप करने से पहले एस. ओ. पी. का पालन करने पर जोर देना है। हस्तक्षेप से प्रायः छात्रों के शैक्षणिक जीवन और कैरियर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की

सलाह यह है कि न्यायालयों को मुख्य उत्तरों की सत्यता पर हस्तक्षेप करने और निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

57. तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी भी परिस्थिति में मुख्य उत्तर की शुद्धता को चुनौती नहीं दी जा सकती है?

58. जवाब निश्चित रूप से नकारात्मक है।

59. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्तियां हमेशा एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होती हैं, लेकिन इस चेतावनी के अधीन कि कटौती और अनुमानित तर्क के आधार पर इसकी शुद्धता के संबंध में प्रमुख उत्तरों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हो, जिसमें गलत होने के अलावा कोई अन्य राय न हो।

60. कानून की पूर्व उल्लिखित स्थिति के साथ, हमने आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञों को भेजे गए कई प्रश्नों के प्रमुख उत्तरों के संबंध में याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों की जांच की है और कारण बताकर सही उत्तर दिए गए हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दिए गए उत्तरों के संबंध में विषय विशेषज्ञों के निर्णय को निकालना लाभदायक होगा। विषय विशेषज्ञों की राय केवल राय नहीं है, बल्कि तर्क पर आधारित है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में यह मानना होगा कि मुख्य उत्तर सही हैं। वास्तव में, जहाँ भी यह पाया गया कि मुख्य उत्तर गलत था, विशेषज्ञों ने उसे हटाने का सुझाव दिया।

61. त्वरित संदर्भ के लिए, हम उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दिए गए उत्तरों के संबंध में विषय विशेषज्ञों के निर्णय को उद्धृत करते हैं:-



-64-

एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा का अयोजन दिनांक 13.12.2024 को किया गया। उक्त परीक्षा के सामान्य अध्ययन (General Studies) विषय के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रश्नों (प्रश्न संख्या-01 से 150 तक) के औपबन्धिक उत्तरों को आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित करते हुए उम्मीदवारों से आपत्ति/सुझाव की मांग की गयी। तत्पश्चात प्राप्त आपत्तियों की जाँच/समीक्षा दिनांक 17.01.2025 को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में आयोजित विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक में सम्पन्न की गयी एवं सिरिज "E" के प्रश्न संख्या-01 से 150 तक के सभी प्रश्नों के उत्तरों का जाँचोपरांत एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किये गये:-

SERIES : " E ", General Studies

1.	D ✓	31.	D ✓	61.	B ✓	91.	B ✓	121.	C ✓
2.	B ✓	32.	D ✓	62.	B ✓	92.	C ✓	122.	A ✓
3.	B ✓	33.	D ✓	63.	B ✓	93.	D ✓	123.	B ✓
4.	A ✓	34.	D ✓	64.	B ✓	94.	D ✓	124.	C ✓
5.	B ✓	35.	D ✓	65.	C ✓	95.	B ✓	125.	B ✓
6.	A ✓	36.	A ✓	66.	B ✓	96.	A ✓	126.	B ✓
7.	C ✓	37.	D ✓	67.	A ✓	97.	B ✓	127.	B ✓
8.	B ✓	38.	B ✓	68.	C ✓	98.	B ✓	128.	B ✓
9.	A ✓	39.	B ✓	69.	B ✓	99.	D ✓	129.	A ✓
10.	B ✓	40.	A ✓	70.	A ✓	100.	C ✓	130.	B ✓
11.	B ✓	41.	D ✓	71.	C ✓	101.	Deleted ✓	131.	C ✓
12.	B ✓	42.	A ✓	72.	A ✓	102.	C ✓	132.	D ✓
13.	C ✓	43.	B ✓	73.	A ✓	103.	A ✓	133.	C ✓
14.	C ✓	44.	A ✓	74.	B ✓	104.	C ✓	134.	C ✓
15.	A ✓	45.	B ✓	75.	A ✓	105.	C ✓	135.	B ✓
16.	C ✓	46.	A ✓	76.	C ✓	106.	C ✓	136.	A ✓
17.	A ✓	47.	D ✓	77.	A ✓	107.	A ✓	137.	C ✓
18.	C ✓	48.	B ✓	78.	D ✓	108.	B ✓	138.	C ✓
19.	D ✓	49.	B ✓	79.	A ✓	109.	C ✓	139.	C ✓
20.	C ✓	50.	A ✓	80.	A ✓	110.	D ✓	140.	A ✓
21.	C ✓	51.	D ✓	81.	D ✓	111.	A ✓	141.	C ✓
22.	B ✓	52.	C ✓	82.	C ✓	112.	A ✓	142.	D ✓
23.	C ✓	53.	D ✓	83.	A ✓	113.	D ✓	143.	D ✓
24.	B ✓	54.	B ✓	84.	A ✓	114.	Deleted ✓	144.	D ✓
25.	C ✓	55.	D ✓	85.	B ✓	115.	C ✓	145.	D ✓
26.	C ✓	56.	B ✓	86.	C ✓	116.	D ✓	146.	D ✓
27.	A ✓	57.	C ✓	87.	C ✓	117.	Deleted ✓	147.	C ✓
28.	C ✓	58.	Deleted ✓	88.	A ✓	118.	A ✓	148.	D ✓
29.	C ✓	59.	C ✓	89.	C ✓	119.	A ✓	149.	C ✓
30.	C ✓	60.	D ✓	90.	B ✓	120.	A ✓	150.	A ✓

29.	C	59.	C	89.	C	119.	A	149.	C
30.	C	60.	D	90.	B	120.	A	150.	A

29. 17.01.25
 30. 17.01.25
 59. 17.01.25
 60. 17.01.25
 89. 17.01.25
 90. 17.01.25
 119. 17.01.25
 120. 17.01.25
 149. 17.01.25
 150. 17.01.25

- 65 -

- The spores formation takes place in-Algae during asexual reproduction,
 Fungi during sexual reproduction and in Fern during reproduction. Thus
 more than one option is correct.
- H 17/1/25
 R.K. Singh 17/1/25
 S.S. Singh 17/01/25
 17.01.2025
 17.01.2025
 Ruby Seal 17.1.25
 17.1.2025
 17/1/25
 17/1/25
 17/1/25
 17.01.25
 17.1.25

Q.No. 61- No change.
Reason :- As per Economic Survey 2023-24 Page No. 10 paragraph 1.12 the Correct option is 'B' for GVA is FA 2024.

Q.No. 66- No Change.
Reason :- The question is about identifying the incorrect match.

Q.No. 76- No Change.
Reason :- Nine Countries including Japan recognized the provisional Govt. of Free India. (B.L Grover, P.472). Japan, Germany, Italy, Thailand, Burma, Manchukuo, Croatia, Nanking(China), Philippines recognized this government.

Q.No. 81- No Change.
Reason :- Victoria was proclaimed as Queen Empress of India in the Delhi Durbar of 1877. Option 'D' is correct.

Q.No. 84- No Change.
Reason :- P.N.Ojha is the editor of the Book. Hundred years of Indian National Congress in Bihar.

Q.No. 89- No Change.
Reason :- Nanda Dynasty ruled over Magadh after Shishunag.

Q.No. 93- No Change.
Reason :- Sodium bicarbonate produces more carbon dioxide than Sodium carbonate when they react with sulphuric acid. Dil. sulphuric acid is better than Conc. sulphuric acid.

Q.No. 97- No Change.
Reason :- According to NCERT Book Themes in world History" Page No-166 the triangular commerce was for opium.

Q.No. 98- No Change.
Reason :- Southern hilly Region of present Bihar is a different physiographic Unit from Bihar Plains.

Q.No. 100- No Change.
Reason :- Malik kafur was purchased by Nusrat Khan. (J.L. Mehta Advance History of Medieval India Vol.I, Page 146 & 56)

Q.No. 101- Deleted.
Reason :- The debate regarding STS struggle came up during the Civil Disobedience Movement. None of the options is correct.

Q.No. 102- No Change.
Reason :- Phosphorus is essential requisite for stimulating seed germination and early growth in plants. Potassium and Nitrogen, the essential components of fertilizer are required for later stage development. Hence phosphorous is correct answer.

Q.No. 113- No Change.
Reason :- All the three options (A, B, C) are features of 1935 Act. option D does not find mention in the Act.

Q.No. 114- Deleted.
Reason :- The reference year is not mentioned in the question.

The reference year is not mentioned.

d/p Singh
17-01-25

R.K. Singh
17/01/25

S.K. Singh
17-01-25

Pooja
17/01/2025

Mehar Singh
12-1-25

Dilip Singh
17-1-25

Sue
17/01/25

Dating Ahmed
17/1/25

Tamara
12-01-25

- 67 -

- Q.No. 117- Deleted.
Reason :- RBI revises the data every quarter. On 6th December 2024. The revised estimated data was 4.8, which is not mentioned in the options. The exam was held on 13-12-2024.
- Q.No. 120- No Change.
Reason :- The decision to form a new province of Bihar was announced earlier but it came into existence from 01.04.1912.
- Q.No. 127- No Change.
Reason :- On the basis of Bihar Economic Survey 2023-2024 on page no-19, Table A.1.1 the basis of calculation value comes to Rs 54111 (Also mentioned on Page-23).
- Q.No. 136- No Change.
Reason :- The region is 1st in the production of Iron. Other minerals are not significant.
- Q.No. 142- No Change.
Reason :- Decomposition is the process by which organic matter is broken down into simpler substances by a variety of micro organism including bacteria and fungi. Fermentation is a redox metabolic process that converts sugar to acid, gases or alcohol in the absence of oxygen through specific microorganism. Hence decomposition is the best answer among four options.
- Q.No. 144- No Change.
Reason :- The Hamas Leader Ismail Haniyeh was killed in Iran, alleged to be by bomb explosion or air strike.
- Q.No. 146- No Change.
Reason :- Option 'A', 'B' & 'C' are correct. Hence 'D' is the correct option.

17/11/2025
93



SERIES :- " I ", General Studies

17.1.25

50. B 60. D 90. D 120. D 150. C
 17/11/25 17/11/25 17/11/25 17/11/25 17/11/25
 17.01.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25 17.1.25
 Ruby Sai W 17.1.25

413

-69-

- Q.No. 05 - Deleted.
Reason :- River subarnarekha originates at latitude $23^{\circ}18'$ N and crosses Tropic of Cancer twice. River N. Koel and S. Koel originate at $23^{\circ}04'$ N and $22^{\circ}15'$ N. North Koel crosses it once and S. Koel never crosses this line. R. Damodar crosses tropic of cancer only once in West Bengal. None of the given options is correct.
- Q. No. 13 - Deleted.
Reason :- Before 2000AD Tropic of Cancer used to Pass through Bihar. Now it Passes through Jharkhand. None of the given options is correct.
- Q. No. 79 - Deleted.
Reason :- There is no snowfall in Uttar Pradesh after the separation of Uttarakhand. None of the given options is correct.
- Q. No. 91 - Deleted.
Reason :- There was no ~~Census~~ census held in 2023. The figures released for 2023 are only estimates and cannot be called Census. None of the given options is correct.
- Q.No. 132- Provisional answer is option 'B'. But the correct option is 'D'.
Reason :- Liver primarily stores fat soluble vitamins - Vit A, D, E & K. However 50% of Vit. B₁₂ (Cobalamine), a type of Vit B is stored by liver. But it does not store Vit 'C'. Accordingly option A, B, and C are wrong. Hence option 'D' is correct answer.

413
OK
12/1/2025

62. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं, जिनमें जनहित याचिका भी शामिल है, का आम मत है कि सीबीआई या किसी अन्य निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि आयोग के पदाधिकारी शिक्षा माफिया, कोचिंग संस्थान संचालकों और गिरोहों के साथ मिले हुए थे या नहीं, जो हमेशा परीक्षा के क्षेत्र में कदम रखते हैं और प्रश्नपत्र लीक करने के तरीके और साधन ढूँढते रहते हैं।

63. याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह है कि आयोग और कुछ कोचिंग संस्थान प्रबंधनों के बीच एक स्पष्ट सौहार्द प्रतीत होता है, अन्यथा परीक्षा से पहले कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन की बैठक आयोजित करने का कोई कारण नहीं था।

64. इस सवाल पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि क्या उच्च न्यायालय केवल याचिकाकर्ताओं से पूछने पर सी. बी. आई. को जांच शुरू करने या संभालने का निर्देश दे सकता है।

65. पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल एवं अन्य; (2010) 3 एससीसी 571 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस प्रश्न की जांच की थी कि सीबीआई को किसी राज्य में उसकी सहमति के बिना किसी आपराधिक मामले की जांच करने का क्या अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची-II, प्रविष्टि 2 के माध्यम से यह माना कि किसी राज्य के नियमित पुलिस बल को राज्य के बाहर किसी क्षेत्र में शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए संघ की विधायी शक्ति का प्रयोग केवल उस विशेष राज्य की सरकार की सहमति से ही किया जा सकता है जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है। हालाँकि, यह आगे कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत व्यापक शक्तियों के बावजूद, न्यायालयों को संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्व-थोपी गई सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम, सावधानी और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो या जहां किसी घटना के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्याय करने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो।

66. उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वह सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम साहंगू राम आर्य एवं अन्य;

(2002) 5 एससीसी 521 में दिए गए निर्णय के क्रम में था। उस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों पर विचार किया गया था। उच्च न्यायालय सीबीआई द्वारा जांच कराने का आदेश दे सकता है, लेकिन केवल ऐसे मामलों में जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी जांच की आवश्यकता है। इसी तरह के विचार सुप्रीम कोर्ट ने सुजाता रवि किरण उर्फ सुजातासाहू बनाम केरल राज्य और अन्य; (2016) 7 एससीसी 597 में व्यक्त किए थे।

67. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने के. सरवनन करुप्पासामी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य; (2014) 10 एससीसी 406; सुदीप्त लेंका बनाम ओडिशा राज्य और अन्य; (2014) 11 एससीसी 527 और श्री श्री राम जानकी जी अस्थान तपोवन मंदिर और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य; (2019) 6 एससीसी 777 में सीबीआई द्वारा जांच से इनकार कर दिया था।

68. वर्तमान तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता आयोग के सदस्यों के तथाकथित आपराधिक कदाचार या प्रश्न हल करने वालों, प्रश्नपत्रों को लीक करने में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच किसी अशुद्ध गठबंधन या व्यवसायिक रूप से इसका उपयोग करने और भर्ती प्रक्रिया की शुद्धता को व्यवस्थित तरीके से बाधित करने के मामले की जांच के लिए कोई मामला नहीं बना पाए हैं।

69. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की दलीलों से यह प्रतीत होता है कि राज्य की ई.ओ.यू., परीक्षा शुरू होने से पहले ही अलर्ट मोड पर थी।

70. क्या इसे प्रश्न पत्र लीक होने या कदाचार का निश्चित रूप से पालन किए जाने के प्रमाण के रूप में पढ़ा जा सकता है?

71. याचिकाकर्ताओं ने जो तर्क दिया है वह यह है कि प्रश्न पत्रों के लीक होने के बारे में गंभीर संदेह था, अन्यथा ई. ओ. यू. जांच शुरू करने के लिए तैयार नहीं होता। ई. ओ. यू. ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 13.12.2024 पर दर्ज एफ. आई. आर. की जाँच की जा रही है। परेशानी पैदा करने वालों के रूप में पहचाने जाने के बाद कुछ परीक्षार्थियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह न्यायालय आयोग के आचरण या परीक्षा प्रक्रिया की पूरी तरह से जांच का आदेश दे, जहां यह सुझाव दिया गया हो कि अनियमितताएं व्याप्त थीं और प्रश्नपत्र लीक हुआ था।

72. यह सच है कि प्रश्नपत्र 13.12.2024 को दोपहर करीब 01:00 बजे लीक हुए, लेकिन वह एक विशेष केंद्र पर एक अलग और प्रासंगिक घटना थी। यह वह समय था जब सभी परीक्षार्थी सैनिटाइज्ड परीक्षा हॉल में बैठे थे। ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता है जिससे प्रश्नपत्र लीक होने से किसी भी परीक्षार्थी को कोई लाभ हुआ हो।

73. हालांकि, हम आयोग द्वारा कोचिंग संस्थान प्रबंधन के साथ बैठक करने की प्रथा की निंदा करते हैं, जिसका उद्देश्य ऐसे कोचिंग संस्थानों से जुड़े छात्रों को किसी भी तरह की गलत सूचना से बचाना और उनसे मदद लेना है, जिनका बड़ी संख्या में छात्रों पर बहुत अधिक प्रभाव और नियंत्रण है।

74. अनुभव से पता चलता है कि बिहार राज्य सहित हर जगह कोचिंग संस्थानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं कि यह अभिशाप है या वरदान।

75. पिछले कुछ दशकों में शिक्षा प्रणाली में भारी बदलाव आया है। एक समय था जब प्रतिष्ठित स्कूल प्रबंधन द्वारा इसकी सराहना नहीं की जाती थी, यदि कोई बच्चा कोचिंग कक्षाओं के लिए जाता था जो आम तौर पर छात्रों के लिए प्रदान की जाती थी, जो स्कूल द्वारा ही बाकी कक्षाओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। समय के साथ, 'ए' ग्रेड

कॉलेजों में प्रवेश लेने या भर्ती प्रक्रिया में छात्रों की सफलता दर बहुत अधिक होने की धारणा के आधार पर, कई ऐसे कोचिंग संस्थान स्थापित किए गए।

76. भारत में कोचिंग संस्थानों की सबसे स्पष्ट आलोचना शिक्षा का उनका व्यापक व्यावसायीकरण है। ज्ञान और बौद्धिक विकास के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता के बजाय लाभ के उद्देश्यों से संचालित एक व्यावसायिक उद्यम में शिक्षा प्रदान करना किसी भी तरह से उत्साहजनक नहीं है।

77. यह परीक्षा की तैयारी के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन जैसा कि आलोचकों का कहना है, यह शायद ही सीखने का केंद्र है।

78. एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और सांसद, फ्रेडरिक बास्तियत ने टूटी हुई खिड़की वाले अर्थशास्त्र या टूटी हुई खिड़की वाले भ्रांति का एक विचार प्रस्तुत किया, जिसे कोचिंग संस्थानों के मामले में लागू कहा जा सकता है।

79. बास्तियत ने एक खिड़की के टूटने का उदाहरण दिया; मालिक इसे ठीक करने के लिए एक बटई को काम पर रखता है; बटई बेकर से खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करता है और इसी तरह। यह एक पुण्य चक्र नहीं था; यह टूटी हुई खिड़की की भ्रांति है। अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने या नौकरी पाने के इच्छुक छात्र अपना प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं और कोचिंग क्लास भी लेते हैं। कोचिंग कक्षाओं के शिक्षक, जो शायद अपने व्यवसाय में शिक्षक होंगे, स्कूलों या कॉलेजों में इस तरह की निष्ठा के साथ नहीं पढ़ाते थे क्योंकि इससे उन्हें केवल उनका वेतन मिलेगा जो कोचिंग संस्थानों में उनकी कमाई से बहुत कम होगा। यदि कोचिंग संस्थानों की सीमाएँ केवल इसी तक सीमित होतीं, तो शायद इसकी तुलना एक टूटी हुई खिड़की से करना बहुत कठोर होता, लेकिन कोचिंग केंद्र आंदोलन के लिए रैली केंद्र बनने के लिए अधिकारियों की तत्काल चिंता की आवश्यकता है।

80. आइए इस परिप्रेक्ष्य में इस मामले के तथ्यों पर एक नज़र डालें।

81. ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के जारी होने के तुरंत बाद, छात्रों/उम्मीदवारों को यह आभास हुआ कि बीपीएससी आसन्न परीक्षा के परिणामों को सामान्यीकरण या उन्हें बढ़ाने की प्रक्रिया के अधीन करेगा।

82. यह जानकारी कहाँ से आई?

83. परीक्षा से पहले ही बड़ी संख्या में छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया।

84. ऐसे आंदोलन को किसने बढ़ावा दिया, जबकि इसका कोई संदर्भ न तो विज्ञापन में था और न ही आयोग द्वारा जारी एसओपी में?

85. उम्मीदवार, आगामी परीक्षा की तैयारी करने के बजाय, कोचिंग केंद्रों के मालिकों के समर्थन से धरना पर बैठने में व्यस्त थे, जिनमें से अधिकांश ने सोशल मीडिया पर बाइट्स दिए।

86. क्या वे छात्रों की भावनाओं और संवेदनशीलता को नहीं बढ़ा रहे थे?

87. सामान्यीकरण कई पालियों में प्रशासित परीक्षा पत्रों के कठिनाई स्तरों में भिन्नता के लिए कच्चे अंकों को समायोजित करने की प्रक्रिया है। यह सांख्यिकीय समायोजन भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा लेने वाले निकाय द्वारा नियोजित एक तंत्र है। सामान्यीकरण को अनिवार्य करने वाला सिद्धांत और औचित्य यह है कि किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ मनमाना या असमान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न पेपरों के विभिन्न कठिनाई स्तरों के होने की अपरिहार्य संभावना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली विसंगति को दूर करने के लिए सामान्यीकरण

की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ऐसी प्रक्रिया में व्यक्तिगत असुविधाएँ अपरिहार्य हैं, जो पूरी परीक्षा को रद्द करने का आधार नहीं हो सकतीं।

88. प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में, सामान्यीकरण उम्मीदवारों के केवल पेपर के कठिनाई स्तर के कारण वंचित या लाभान्वित होने की संभावना को समाप्त करता है। विभिन्न पालियों में अंकों को बराबर करके, सामान्यीकरण उम्मीदवारों के अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है।

89. प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं थे; केवल प्रश्न पत्रों के अलग-अलग सेट थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेख पर, छात्रों के लिए कठोरता के मानक के अलग-अलग स्तर का कोई मूल्यांकन नहीं है ताकि यह आशंका हो कि परिणाम सामान्यीकरण के अधीन होगा।

90. भले ही इस पर विचार किया गया हो, लेकिन छात्रों के आंदोलन करने का कोई कारण नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि कोचिंग संस्थान के मालिकों की अधिक लाभ के लिए अधिक नामांकन की नापाक इच्छा के कारण, छात्रों को सामान्यीकरण की अवधारणा के बारे में समझाने के बजाय, परीक्षा शुरू होने से पहले ही उनके आंदोलन में उनका समर्थन किया गया था। यह कोई जिम्मेदाराना कृत्य नहीं था।

91. ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आयोग की यह धारणा कि ये मालिक छात्रों पर बहुत अधिक नियंत्रण रखते हैं, इसलिए आयोग ने कोचिंग संस्थान मालिकों के साथ एक बैठक तय की थी ताकि छात्रों को समझाया जा सके और उनसे मदद भी ली जा सके।

92. हम दोहराते हैं, यह पूरी तरह से अनावश्यक था, क्योंकि इसने केवल इन कोचिंग केंद्र के मालिकों को क्षेत्र में प्रवेश करने और अधिक नामांकन प्राप्त करने की उम्मीद में छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए प्रेरित किया।

93. हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

94. अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि जब आंदोलन नियंत्रण से बाहर जा रहा था, आयोग ने एक प्रेस-नोट जारी किया कि कोई सामान्यीकरण नहीं होगा। आयोग को भी ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए था और बाद में इसे एक निष्पक्ष मूल्यांकन पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन और परिणामों के प्रकाशन से पहले, क्या सामान्यीकरण आवश्यक था। दो समूह अनावश्यक रूप से उभरे; एक प्रस्तावक था और दूसरा परिणाम को सामान्य बनाने का विरोधी था। इसके चलते आंदोलन लंबा चला। ऐसा प्रतीत होता है कि 04.01.2025 पर एक विशेष केंद्र के उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा के बाद भी, बीपीएससी द्वारा एक नोट जारी किया गया था कि कोई सामान्यीकरण नहीं होगा।

95. हम इस संबंध में आयोग के निर्णय पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सामान्यीकरण प्रक्रिया की पेचीदगियों में जाने के लिए विशेषज्ञता की कमी है और यह भी कि सामान्यीकरण के पक्ष या विपक्ष में रिकॉर्ड पर कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, जिसमें से किसी भी निर्णय को मनमाना कहा जाए या यह भविष्यवाणी करने के लिए कि यह अस्थिर परिणाम लाएगा।

96. हम केवल यह कहना चाहते हैं कि आयोग ने स्थिति को उचित तरीके से नहीं संभाला।

97. हालाँकि हमने पाया है कि आयोग द्वारा एक बहुत ही विस्तृत एस. ओ. पी. तैयार की गई है, लेकिन अगर इसका अक्षरशः पालन नहीं किया जाता है तो यह किसी को भी राहत नहीं देता है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी अनुचित साधन के प्रति शून्य चूक और शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए।

98. हमारा विचार है कि बीपीएससी द्वारा केवल एस. ओ. पी. तैयार करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, हम सुझाव देते हैं कि बीपीएससी द्वारा उपयुक्त रूप से योग्य विशेषज्ञों के स्थायी आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो सुरक्षा उपायों, उम्मीदवार सत्यापन प्रक्रिया और परीक्षा के समग्र प्रबंधन की व्यापक समीक्षा सुनिश्चित कर सके। वे प्रक्रिया में मौजूद कमजोरियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक बदलाव करने के लिए बीपीएससी को सुझाव भी दे सकते हैं। बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था के आचरण को महत्व और प्रासंगिकता के मुद्दों पर छूट और टालमटोल नहीं करनी चाहिए।

99. हम पाते हैं कि एस. ओ. पी. के बावजूद, खामियां, लॉजिस्टिक और संरचनात्मक थीं, जो भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। आवेदकों की संख्या वर्षों तक बढ़ती रहेगी। यदि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना है, तो भविष्य में किसी भी कदाचार, धोखाधड़ी या प्रश्न लीक को रोकने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

100. इस प्रकार गठित समिति को विज्ञापन जारी करने से लेकर अंतिम परिणाम प्रकाशित करने तक सभी चरणों में परीक्षाओं के प्रशासन के तंत्र में सुधारों का मूल्यांकन और सिफारिश करनी चाहिए। मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

101. कहने की जरूरत नहीं कि सुझावों में से एक यह होना चाहिए कि उन सभी स्थानों पर व्यापक सीसीटीवी निगरानी की जाए जो परीक्षा प्रक्रिया में असुरक्षित हो सकते हैं। समिति एक मजबूत शिकायत निवारण केंद्र के रूप में भी काम कर सकती है, यदि यह उम्मीदवारों और अन्य लोगों को परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के बारे में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देने के लिए साधन विकसित करती है। वैज्ञानिक उपकरण, जो दिन-

ब-दिन आगे बढ़ रहे हैं, उनका उपयोग डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल, एन्क्रिप्शन आदि को मजबूत करने में किया जाना चाहिए, जो प्रश्न पत्रों के किसी भी रिसाव को रोकेंगे।

102. वंशिका यादव (सुप्रा) मामले में उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है कि परीक्षण एजेंसी लीक हुए दस्तावेजों की उत्पत्ति का पता लगाने और इलेक्ट्रॉनिक प्रसार प्रक्रिया में संभावित उल्लंघनों की पहचान करने के लिए डिजिटल वाटरमार्किंग और ट्रैकिंग तकनीकों को शामिल करने पर विचार कर सकती है। वर्तमान सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचारों का पता लगाने के लिए नियमित अंतराल पर लेखा परीक्षा होनी चाहिए। उस संबंध में, डिजिटल प्रमाणीकरण, सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में सोचा जा सकता है।

103. अतः, सूत्रों को जोड़ने के लिए -

(I) 13.12.2024 को सभी केंद्रों पर कदाचार का कोई निश्चित सबूत नहीं है;

(II) पटना में बी. पी. पी. केंद्र में गड़बड़ी का प्रमाण है जहां सबसे अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं;

(III) आयोग ने इसे ध्यान में रखते हुए, उस केंद्र के लिए 04.01.2025 पर पुनः परीक्षा आयोजित की;

(IV) आयोग के पूर्वोक्त निर्णय में कोई गलती नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय पर कानून स्पष्ट है कि यदि दागी उम्मीदवारों को बेदाग उम्मीदवारों से अलग करना संभव है, तो पूरी परीक्षा रद्द करने के बजाय ऐसा किया जाना चाहिए।

(V) प्रश्नपत्र एक केंद्र, अर्थात् पटना के बीपीपी केंद्र से दोपहर करीब 1:00 बजे लीक हुआ था, जब अन्य केंद्रों में परीक्षार्थी सैनिटाइज किए गए परीक्षा हॉल में बैठे थे;

(VI) इस प्रकार, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी भी उम्मीदवार को इस तरह के पेपर लीक से लाभ हुआ है;

(VII) याचिकाकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर कदाचार और पेपर लीक के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य केवल फेसबुक और 'एक्स' (ट्विटर) पोस्ट हैं, जो परीक्षा के बाद की हैं;

(VIII) विभिन्न केंद्रों और पुनर्परीक्षा में सफलता दर इतनी स्पष्ट नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि निश्चित रूप से प्रणालीगत खामियां थीं;

(IX) राज्य की आर्थिक अपराध इकाई का परीक्षा से पहले सतर्क होना इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई सबूत नहीं है कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था ताकि पूरी तरह से पुनः परीक्षा की मांग को सही ठहराया जा सके।

(X) कुछ उम्मीदवारों के राज्य के खर्च पर विशेष उपचार प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य, भले ही यह सच माना जाए, पेपर लीक या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का कोई प्रमाण नहीं होगा;

(XI) आयोग ने कोचिंग केंद्रों के मालिकों/शिक्षकों की एक बैठक बुलाई थी ताकि उन छात्रों के साथ संवाद की सुविधा प्रदान की जा सके जिन पर उनका अच्छा नियंत्रण है और साथ ही परीक्षा के शांतिपूर्ण, प्रभावी और निष्पक्ष संचालन के लिए सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से; लेकिन आयोग की यह कार्रवाई न तो उपयुक्त है और न ही प्रशंसनीय;

(XII) परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न कोचिंग संस्थानों के मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों से मेल खाते थे, यह इस बात का सबूत नहीं है कि आयोग ने ऐसे कोचिंग संस्थानों से प्रश्न बैंक लिए हैं;

(XIII) राज्य में और राज्य के बाहर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न बैंकों से हमेशा सामान्य प्रश्न हो सकते हैं;

(XIV) संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होने के आधार पर कुछ छात्रों के लिए एक और परीक्षा आयोजित करने की अस्वीकार्यता के संबंध में तर्क अस्वीकार्य है और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों के विपरीत भी है, जो सीमित पुनः परीक्षा को उचित ठहराते हैं;

(XV) विभिन्न पालियों में विभिन्न परीक्षा पत्रों में कठिनाई स्तर के मानक का मूल्यांकन करने अथवा सीमित पुनः परीक्षा की स्थिति में परिणामों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए परीक्षा लेने वाली संस्था के व्यक्तिपरक मूल्यांकन को हमेशा खुला छोड़ना सबसे अच्छा होता है;

(XVI) एक धारणा है कि विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर परीक्षा लेने वाले निकाय द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख उत्तर सही हैं जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए;

(XVII) मुख्य उत्तरों पर आपत्तियां तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा नहीं होनी चाहिए;

(XVIII) ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने कई सुझावों पर विचार किया है और प्रमुख उत्तर तैयार करने के लिए विशेषज्ञों पर भरोसा किया है;

(XIX) विषय विशेषज्ञों के सुझावों और राय के आधार पर, कई प्रश्नों को हटा दिया गया था।

(XX) आपत्तियों को उत्तर के समर्थन में कारण देने के साथ निपटाया गया था;

(XXI) न्यायालय को विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार किए जाने के बावजूद सही उत्तर जानने के लिए उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में उसकी कोई विशेषज्ञता नहीं है;

(XXII) मुख्य उत्तरों की सत्यता के संबंध में आपत्ति के आधार पर किसी भी हस्तक्षेप पर तभी विचार किया जा सकता है जब मुख्य उत्तर स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्षतः गलत हो;

(XXIII) उत्तर के बारे में संदेह की स्थिति में, लाभ हमेशा उम्मीदवारों के बजाय परीक्षा प्राधिकरण को जाना चाहिए;

(XXIV) मामले में किसी भी सीबीआई जांच के लिए निर्देश देने के लिए कोई सामग्री या आधार नहीं सुझाया गया था;

(XXV) आयोग, आज की तारीख में, सामान्यीकरण का इरादा नहीं रखता है;

(XXVI) किसी भी घटना में, एक न्यायालय विशेषज्ञता की कमी के कारण क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है;

(XXVII) परीक्षा से पहले ही सामान्यीकरण के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र एक अचानक आई प्रतिक्रिया थी, जहां छात्र अफवाहों का शिकार हो गए थे;

(XXVIII) उन्हें सलाह देने के बजाय दुर्भाग्य से उकसाया गया था;

(XXIX) यद्यपि आयोग द्वारा परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू के संबंध में एक विस्तृत एसओपी तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें खामियां रही हैं, लेकिन वे उस प्रकार और परिमाण की नहीं हैं, जिससे परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता पर आंच आए;

(XXX) कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले पोर्टल सर्वर धीमा था, लेकिन पोर्टल सुलभ नहीं होने के कारण किसी भी छात्र द्वारा फॉर्म नहीं भरने की कोई शिकायत नहीं हुई है;

(XXXI) जैमर के प्रभावी नहीं होने का आरोप किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है;

(XXXII) केवल एक केंद्र पर फटे हुए टीईएस बैग थे;

(XXXIII) कदाचार, धोखाधड़ी या प्रश्न लीक केवल एपिसोडिक था जिसमें इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उत्तर परीक्षा देने वालों तक पहुंच गए थे जब वे अपने पेपर लिख रहे थे;

(XXXIV) कोचिंग संस्थान के मालिकों को अपने आचरण में अधिक जिम्मेदार होना चाहिए, जो उनसे अपेक्षित है।

(XXXV) आयोग द्वारा विशेषज्ञों के स्थायी आधार पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो सुरक्षा उपायों और परीक्षा के समग्र प्रबंधन की समीक्षा सुनिश्चित करेगी।

(XXXVI) आयोग को परीक्षा की प्रक्रिया में कमजोरियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करने चाहिए। एस. ओ. पी. को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके पत्रों में एस. ओ. पी. का पालन करने के प्रयास किए जाने चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी चरणों में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक समर्पित शाखा बनाई जानी चाहिए। डिजिटल वाटर-मार्किंग और ट्रैकिंग की उच्च तकनीक को अपनाया जाना चाहिए।

104. उपर्युक्त परिस्थितियों और हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

105. रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

106. आयोग यह सुनिश्चित करते हुए मुख्य परीक्षा कराएगा कि प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आयोग ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संरचनात्मक रूप से मजबूत होने के लिए हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर भी विचार करेगा।

107. सभी याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हूँ।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

कृष्ण/पीकेपी

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।